

**मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित
विवेकपूर्ण मानदंड**

विषय-सूची

अनु. सं.		ब्योरे	पृ. सं.
भाग क			
1		सामान्य	
2		परिभाषाएं	
	2.1	अनर्जक आस्तियां	
	2.2	'अनियमित' दर्जा	
	2.3	'अतिदेय'	
3		आय - निर्धारण	
	3.1	आय-निर्धारण नीति	
	3.2	आय का प्रतिवर्तन	
	3.3	अनर्जक आस्तियों की वसूली का विनियोजन	
	3.4	ब्याज लगाना	
	3.5	अनर्जक आस्तियों के स्तर की गणना	
4		आस्ति वर्गीकरण	
	4.1	अनर्जक आस्तियों की श्रेणियां	
	4.2	आस्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश	
	4.2.1	सामान्य	
	4.2.2	एनपीए की उचित और समय पर पहचान के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणालियां	
	4.2.3	जमानत / उधारकर्ता/ गारंटीकर्ता की निवल मालियत की उपलब्धता	
	4.2.4	अस्थायी कमियों वाले खाते	
	4.2.5	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन	
	4.2.6	तुलन पत्र की तारीख के निकट नियमित किये गये खाते	

	4.2.7	आस्ति वर्गीकरण ऋणकर्तावार हो न कि सुविधावार हो	
	4.2.8	सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम	
	4.2.9	ऐसे खाते जहां प्रतिभूति के मूल्य में हास हुआ है/ उधारकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी की गई है	
	4.2.10	वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/ कृषक सेवा समितियों को दिये गये अग्रिम	
	4.2.11	मीयादी जमाराशियों, एनएससी, केवीपी/आइवीपी आदि की जमानत पर दिये गये अग्रिम	
	4.2.12	ब्याज के भुगतान के लिए स्थगन वाले ऋण	
	4.2.13	कृषि अग्रिम	
	4.2.14	सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम	
	4.2.15	कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं	
	4.2.16	पोत लदान के बाद आपूर्तिकर्ता का ऋण	
	4.2.17	निर्यात परियोजना वित्त	
	4.2.18	लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण	
	4.2.19	क्रेडिट कार्ड खाते	
5		प्रावधान संबंधी मानदंड	
	5.1	सामान्य	
	5.2	हानि आस्तियां	
	5.3	संदिग्ध आस्तियां	
	5.4	अवमानक आस्तियां	
	5.5	मानक आस्तियां	
	5.6	फ्लोटिंग (अस्थायी) प्रावधानों के निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड	
	5.6.1	बैंकों द्वारा फ्लोटिंग (अस्थायी) प्रावधानों के निर्माण के लिए सिद्धांत	
	5.6.2	बैंकों द्वारा फ्लोटिंग (अस्थायी) प्रावधानों के उपयोग के लिए सिद्धांत	
	5.6.3	लेखा	
	5.6.4	प्रकटीकरण	
	5.7	निर्धारित दरों से उच्चतर दरों पर अग्रिमों के लिए प्रावधान	

	5.7.1	एनपीए के लिए	
	5.7.2	मानक आस्तियों के लिए	
5.8		पट्टे की आस्तियों पर प्रावधान	
	5.8.1	अवमानक आस्तियां	
	5.8.2	संदिग्ध आस्तियां	
	5.8.3	हानि आस्तियां	
5.9		विशेष परिस्थितियों में प्रावधानों के लिए दिशानिर्देश	
	5.9.1	जमाराशि/ विशिष्ट लिखतों पर अग्रिम	
	5.9.2	ब्याज उचंत खाता	
	5.9.3	ईसीजीसी गारंटी 34 द्वारा सुरक्षित अग्रिम	
	5.9.4	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) या निम्न आय आवासन के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) की गारंटीद्वारा सुरक्षित अग्रिम	
	5.9.5	विनिमय दर में घट-बढ़ खाते के लिए प्रारक्षित राशि	
	5.9.6	देश विशेष संबंधित एक्सपोजर के लिए प्रावधान	
	5.9.7	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए प्रदान की गई चलनिधि सुविधा के लिए प्रावधानीकरण मानदंड	
	5.9.8	डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताएं	
	5.9.9	लुभावने दरों पर दिये गए आवास ऋणों के लिए प्रावधान	
	5.9.10	बाजार व्यवस्था के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने के दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ	
	5.10	प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात	
6		अनर्जक आस्तियों को बट्टे खाते डालना	
	6.1	सामान्य	
	6.2	प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खाते डालना	
7		अनर्जक आस्ति प्रबंधन - एक प्रभावी प्रणाली और कणमय (ग्रेनुलर) आँकड़ों की आवश्यकता	
भाग ख 1			
दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए ढांचा			
8		दबावग्रस्तता की आरंभ में ही पहचान और उसकी रिपोर्टिंग	

9			समाधान योजना का कार्यान्वयन	
10			आरपी के लिए कार्यान्वयन शर्तें	
11			समाधान योजना का विलंबित कार्यान्वयन	
12			विवेकपूर्ण मानदंड	
13			पर्यवेक्षी समीक्षा	
14			प्रकटीकरण	
15			अपवाद	
भाग ख 2				
पुनर्गठन पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड				
16			पुनर्गठन की परिभाषा	
17			विवेकपूर्ण मानदंड	
	17.1		आस्ति वर्गीकरण	
	17.2		उन्नयन के लिए शर्तें	
18			प्रावधानीकरण मानदंड	
19			अतिरिक्त वित्त	
20			आय निर्धारण मानदंड	
21			मूलधन को ऋण/इक्विटी में और अदत्त ब्याज का 'वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण', ऋण या इक्विटी लिखतों में परिवर्तन	
22			स्वामित्व में परिवर्तन	
23			बिक्री तथा वापसी पट्टा लेनदेनों के पुनर्गठन के रूप में वर्गीकरण के लिए सिद्धांत	
24			उधारकर्ताओं को एक्सपोजरों के पुनर्वितीयन से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड	
25			टेक-आउट वित्त पोषण	
26			विनियामकीय छूट	
27			धोखाधड़ी/ इरादतन चूककर्ताओं का पुनर्गठन	
भाग ग				
विविध				
28			इरादतन चूककर्ता और असहयोगात्मक उधारकर्ता	
29			सूचना का प्रसार	

30			प्रवर्तकों के योगदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण	
31			क्रेडिट जोखिम प्रबंधन	
32			सरसाई के पास लेनदेन का पंजीकरण	
33			बोर्ड द्वारा निगरानी	
भाग घ - अनुबंध				
अनुबंध - 1			सकल अग्रिमों, सकल अनर्जक आस्तियों, निवल अग्रिमों तथा निवल अनर्जक आस्तियों का ब्यौरा	
अनुबंध - 2			फसल अवधि से जुड़े आस्तिवर्गीकरण मानदंडों के लिए पात्र गतिविधियां	
अनुबंध - 3			प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर की संगणना के लिए प्रारूप	
अनुबंध - 4			बट्टे खाते और तकनीकी बट्टे खाते डाली गयी आस्तियों का प्रकटीकरण	
अनुबंध - 5			स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन	
अनुबंध - 6			आईआरसीपी मानदंड पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	

मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड

भाग क

1. सामान्य

1.1 अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में बैंकों के अग्रिम संविभाग के लिए आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

1.2 आय-निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और वह वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठ बातों पर। इसी प्रकार, बैंकों की आस्तियों का वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे मानदंडों का एकसमान और सामंजस्यपूर्ण ढंग से लागू होना सुनिश्चित होगा। साथ ही, प्रावधानीकरण आस्तियों के अनर्जक बने रहने की अवधि पर आधारित आस्तियों के वर्गीकरण और जमानत की उपलब्धता तथा उसके मूल्य की वसूली योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, ।

1.3 बैंकों से अनुरोध है कि ऋण और अग्रिम मंजूर करते समय उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह पर आधारित वास्तविक चुकौती की अनुसूची तय की जाए। इससे उधारकर्ताओं को समय पर चुकौती करने में सुविधा होगी तथा अग्रिमों के वसूली रिकार्ड में सुधार होगा।

2. परिभाषाएं

2.1 अनर्जक आस्तियां

2.1.1 कोई आस्ति, जिसमें पट्टेवाली आस्ति शामिल है, तब अनर्जक बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है।

2.1.2 अनर्जक आस्ति (एनपीए) वह ऋण या अग्रिम है जहाँ -

- i. मीयादी ऋण के संदर्भ में ब्याज और/ या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है,
- ii. ओवरड्राफ्ट /नकदी ऋण के संदर्भ में खाता नीचे अनुच्छेद 2.2 के अनुसार 'अनियमित' बना रहता है,
- iii. खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना रहता है,
- iv. अल्पावधि फसलों के मामले में दो फसली अवधियों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज अतिदेय हो।
- v. दीर्घावधि फसलों के मामलों में एक फसल अवधि के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज अतिदेय हो।
- vi. भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रतिभूतिकरण और मानक आस्ति) निदेश 2021 में निहित अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया रहे तो।
- vii. डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में किसी डेरिवेटिव संविदा का सकारात्मक बाजार आधारित मूल्य दर्शानेवाली अतिदेय प्राप्य राशियां यदि भुगतान की निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिन की अवधि तक बकाया रह जाएं।

2.1.3 ब्याज के भुगतान के मामले में बैंक किसी खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के तौर पर तभी वर्गीकृत करें जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूरी तरह नहीं चुकाया जाता।

2.1.4 इसके अतिरिक्त, इस मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 4.2.4, 4.2.9 और भाग ख2 सहित कुछ विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार भी किसी खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

2.2 'अनियमित' दर्जा

किसी खाते को तब 'अनियमित' माना जाएगा जब बकाया शेषराशि, स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से लगातार 90 दिन के लिए अधिक बनी रहती है। उन मामलों में जहां प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है, परंतु तुलनपत्र की तारीख को लगातार 90 दिन के लिए कोई जमा राशि (क्रेडिट) नहीं है अथवा उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जमा राशि (क्रेडिट) नहीं है, वहाँ इन खातों को 'अनियमित' माना जाए।

2.3 'अतिदेय'

किसी भी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि यदि बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती तो वह 'अतिदेय' होती है।

3. आय-निर्धारण

3.1 आय-निर्धारण - नीति

3.1.1 आय-निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और वह वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए। अतः बैंकों को किसी अनर्जक आस्ति पर ब्याज नहीं लगाना चाहिए और न ही उसे आय खाते में ले जाना चाहिए। **यह सरकार द्वारा गारंटीकृत खातों पर भी लागू होगा।**

3.1.2 तथापि, मीयादी जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), इंदिरा विकास पत्र (आइवीपी), किसान विकास पत्र (केवीपी) तथा जीवन पॉलिसियों की जमानत पर दिये गए अग्रिमों पर ब्याज को देय तारीख को आय खाते में लाया जा सकता है, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

3.1.3 बकाया ऋणों के संबंध में पुनः परक्रामित अथवा पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा अर्जित शुल्कों और कमीशनों को ऋण की पुनः परक्रामित या पुनर्निर्धारित सीमा तक व्याप्त अवधि के लिए उपचय के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए।

3.2 आय का प्रतिवर्तन

3.2.1 यदि कोई अग्रिम, जिसमें खरीदे तथा भुनाए गए बिल शामिल हैं, अनर्जक आस्ति बनता है तो पिछली अवधियों में आय खाते में जमा किए गए संपूर्ण उपचित ब्याज, यदि वह प्राप्त नहीं हुआ है तो, को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए। **यह सरकार द्वारा गारंटीप्राप्त खातों पर भी लागू होगा।**

3.2.2 अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में, शुल्क, कमीशन और इसी प्रकार की उपचित होने वाली आय वर्तमान अवधि में उपचित होना बंद हो जानी चाहिए और यदि पिछली अवधियों के संबंध में वह वसूल न की गयी हो तो प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।

3.2.3 पट्टेवाली आस्तियां - पट्टेवाली आस्ति पर, 'एएस 19 - पट्टा' में यथापरिभाषित वित्त आय का *वित्त प्रभार* घटक, जो उपचित हुआ है और आय खाते में, आस्ति के अनर्जक बनने के पहले जमा किया गया था तथा जिसकी वसूली नहीं हुई है, उसे प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए या चालू लेखांकन अवधि में उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

3.3 अनर्जक आस्तियों की वसूली का विनियोजन

3.3.1 अनर्जक आस्तियों पर वसूल ब्याज को आय खाते में ले जाया सकता है, बशर्ते ब्याज हेतु खातों में जमा राशि संबंधित ऋणकर्ता को मंजूर नयी/ अतिरिक्त ऋण सुविधाओं से न हो।

3.3.2 अनर्जक आस्तियों में वसूली के विनियोजन (अर्थात् देय मूलधन या ब्याज) के प्रयोजन के लिए बैंक और ऋणकर्ता के बीच स्पष्ट करार न होने पर, बैंकों को कोई एक लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए तथा वसूलियों के विनियोजन के अधिकार का एकसमान और सुसंगत रूप में प्रयोग करना चाहिए।

3.4 ब्याज लगाना

किसी खाते के अनर्जक आस्ति हो जाने पर बैंकों को ऐसे खातों पर पहले लगाए जा चुके लेकिन वसूल नहीं किए गए ब्याज को लाभ तथा हानि खाता के नामे करते हुए प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए तथा उस पर आगे ब्याज की संगणना नहीं करनी चाहिए। तथापि, बैंक अपनी बहियों के मेमोरंडम खातेमें इस प्रकार के उपचित ब्याज को दर्ज करना जारी रख सकते हैं। मेमोरंडम खाते में दर्ज ब्याज को सकल अग्रियों की संगणना के हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

3.5 अनर्जक आस्तियों के स्तर की गणना

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सकल अग्रियों, निवल अग्रियों, सकल अनर्जक आस्तियों तथा निवल अनर्जक आस्तियों की संगणना अनुबंध - 1 के प्रारूप के अनुसार करें।

4. आस्ति वर्गीकरण

4.1 अनर्जक आस्तियों की श्रेणियां

बैंकों अपनी अनर्जक आस्तियों को, उनके अनर्जक बने रहने की अवधि तथा देय राशि की वसूली योग्यता के आधार पर, निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करें:

- i. अवमानक आस्तियाँ
- ii. संदिग्ध आस्तियाँ और
- iii. हानि आस्तियाँ

4.1.1 अवमानक आस्तियाँ

31 मार्च 2005 से अवमानक आस्ति वह आस्ति होगी जो 12 महीने अथवा उससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति बनी रहती है। इस प्रकार की आस्ति में सुस्पष्ट ऋण-कमजोरियाँ होंगी जो ऋण का परिसमापन बाधित करती हैं और जिनमें कुछ ऐसी स्पष्ट संभावना निहित है कि यदि इन कमियों को ठीक नहीं किया गया तो बैंकों को कुछ हानि होगी।

4.1.2 संदिग्ध आस्तियां

31 मार्च 2005 से वह आस्ति संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत होगी जो 12 महीनों की अवधि के लिए अनर्जक बनी रही है। संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किये गये ऋण में वे सभी कमजोरियाँ निहित होती हैं जो अवमानक आस्ति में होती हैं और साथ ही यह लक्षण भी जुड़ जाता है कि उक्त कमजोरियों के कारण तथा वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, शर्तों और मूल्यों के आधार पर उनकी पूर्ण उगाही अथवा परिसमापन अत्यधिक शंकास्पद और असंभाव्य हो जाता है।

4.1.3 हानि आस्तियां

हानिआस्ति वह है जहां बैंक अथवा आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा हनिको पहचाना गया है किंतु उस राशि को पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की आस्ति वसूली योग्य नहीं मानी जाती और इस प्रकार की आस्ति को बैंक तो स्वीकार्यआस्ति के रूप में जारी रखना आवश्यक नहीं होता, हालांकि उसमें कुछ निस्तारण या वसूली मूल्य की प्राप्ति हो सकती है।

4.2 आस्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश

4.2.1 सामान्य

मोटे तौर पर कहा जाये तो, उपर्युक्त श्रेणियों में आस्तियों का वर्गीकरण सुस्पष्ट ऋण कमजोरियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

4.2.2 एनपीए की उचित और समय पर पहचान के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणालियां

बैंकों को एनपीए की उचित और समय पर पहचान के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणालियां (प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रियाओं सहित) स्थापित करनी चाहिए, जिसमें बैंकों में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रिया का स्वचलीकरण पर [14 सितंबर 2020 को जारी परिपत्र डीओएस.केंका.पीपीजी.एसईसी.03/11.005/2020-21](#) (अद्यतित) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाना शामिल है।

4.2.3 जमानत // उधारकर्ता/ गारंटीदाता की निवल मालियत की उपलब्धता

किसी अग्रिम को अनर्जक अग्रिम अथवा अन्यथा वर्गीकृत करने के लिए जमानत / उधारकर्ता/ गारंटीदाता की निवल मालियत की उपलब्धता को केवल अनुच्छेद 4.2.9 में प्रावधानित सीमा तक ध्यान में लिया जाना चाहिए।

4.2.4 अस्थायी कमियों वाले खाते

किसी आस्ति का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को किसी अग्रिम खाते को केवल इस कारण से अनर्जक खाते के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसी कमियां विद्यमान हैं, जो अस्थायी स्वरूप की हैं, जैसे अद्यतन उपलब्ध स्टॉक विवरण पर आधारित पर्याप्त आहरण अधिकार की अनुपलब्धता, बकाया जमा शेष अस्थायी रूप से सीमा से अधिक होना, स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करना तथा नियत तारीखों को सीमाओं का नवीनीकरण न होना, आदि। इस प्रकार की कमियों वाले खातों के वर्गीकरण के मामले में बैंक निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपना सकते हैं:

क) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में किये गये आहरणों के लिए पर्याप्त चालू आस्तियां रखी गयी हों, क्योंकि संकट के समय पहले चालू आस्तियों का विनियोजन किया जाता है। आहरणाधिकार वर्तमान स्टॉक विवरण के आधार पर प्राप्त किया जाना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणकर्ताओं की व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए आहरणाधिकार निश्चित करने के लिए बैंक जिन स्टॉक विवरणों पर निर्भर रहते हैं वे तीन माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तीन माह से अधिक पुराने स्टॉक विवरणों से परिकल्पित आहरणाधिकार पर आधारित खाते की बकाया राशियों को अनियमित माना जायेगा।

ख) यदि कार्यशील पूंजी खातों में ऐसे अनियमित आहरणों की अनुमति लगातार 90 दिनों के लिए दी जाए तो कार्यशील पूंजी ऋण खाता अनर्जक हो जायेगा, भले ही इकाईकार्य कर रही हो अथवा ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

ग) नियमित और तदर्थ ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा/ नियमितीकरण नियत तारीख/तदर्थ स्वीकृति की तारीख से तीन महीनों के पहले कर लिया जाना चाहिए। ऋणकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य आंकड़े उपलब्ध न होने जैसे अवरोधों की स्थिति में शाखा को इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि ऋण सीमाओं का नवीकरण /उसकी समीक्षा पहले से चल रही है और वह शीघ्र पूरी हो जायेगी। किसी भी स्थिति में, छः माह से अधिक की देरी को एक सामान्य अनुशासन के रूप में वांछनीय नहीं माना जाता है। अतः नियत तारीख/ तदर्थ स्वीकृति की तारीख से 180 दिनों के पहले जिन खातों में नियमित/ तदर्थ ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा/उनका नवीकरण न कर लिया गया हो उन्हें अनर्जक माना जायेगा।

4.2.5 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के संबंध में ऋणकर्ता द्वारा ब्याज की बकाया राशि और मूलधन को चुकाने पर उन ऋण खातों को अनर्जक खातों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें 'मानक' खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पुनर्गठन, डीसीसीओ की प्राप्ति न होने आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के उन्नयन मामलों में उनसे संबंधित निर्दिष्ट निर्देश लागू होंगे।

4.2.6 तुलनपत्र की तारीख के निकट नियमित किये गये खाते

जिन ऋण खातों में तुलनपत्र की तारीख से पूर्व एक-दो बार राशियां जमा की गयी हों, उनका आस्ति-वर्गीकरण सावधानीपूर्वक और व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के बिना किया जाना चाहिए। जहां उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर खाता अंतर्निहित कमजोरियों का संकेत दे रहा हो, वहां खाते को अनर्जक माना जाना चाहिए। अन्य प्रामाणिक मामलों में, बैंकों को उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति के बारे में संदेह दूर करने के लिए खाते को नियमित करने के ढंग के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों/निरीक्षण अधिकारियों के समक्ष संतोषजनक साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

4.2.7 आस्ति वर्गीकरण ऋणकर्तावार हो न कि सुविधावार हो

4.2.7.1 ऐसी स्थिति की अभिकल्पना करना कठिन है जिसमें उधारकर्ता को दी गयी केवल कोई एक सुविधा/उक्त उधारकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में केवल एक निवेश समस्यापूर्ण हो जाता है, अन्य नहीं। अतः किसी बैंक द्वारा किसी ऋणकर्ता को दी गयी सभी सुविधाएं तथा उस ऋणकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में किए निवेश को अनर्जक आस्ति/अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, न कि कोई विशेष सुविधा /निवेश अथवा उसका कोई अंश, जो अनियमित हो गया हो।

4.2.7.2 यदि साखपत्रों के अवक्रमण या गारंटियों का आह्वान करने के फलस्वरूप उत्पन्न नामे राशियों को अलग खाते में रखा जाता है, तो उस खाते में शेष बकाया राशि को भी आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के लिए ऋणकर्ता के प्रधान परिचालन खाते के भाग के रूप में माना जाना चाहिए।

4.2.7.3 यदि किसी उधारकर्ता को मंजूर कोई अन्य सुविधा अनर्जक आस्ति(एनपीए)के रूप में वर्गीकृत की जाती है, तो उस उधारकर्ता के पक्ष में साख पत्र के अंतर्गत भुनाये गये बिल को अनर्जक आस्ति (एनपीए) नहीं माना जाएगा। तथापि, यदि साख पत्र के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किये जाते हैं या साख पत्र जारीकर्ता बैंक द्वारा नियत तारीख पर साख पत्र के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाता है और संबंधित बिलों की भुनाई के कारण संवितरित राशि की भरपाई उधारकर्ता तुरंत नहीं करता है तो बकाया भुनाए गए बिल तुरंत उस तारीख से अनर्जक अग्रिम माने जाएंगे जिस तारीख से अन्य सुविधाओं का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण किया गया है।

4.2.7.4 डेरिवेटिव संविदाएं

क) यदि किसी डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक बाजार-दर- आधारित मूल्य दर्शानेवाली प्राप्य राशि 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक अतिदेय है तो उसे अनर्जक आस्ति माना जाना चाहिए। यदि

वायदा संविदा तथा प्लेन वनीला स्वैप और ऑप्शंस से उत्पन्न होनेवाली अतिदेय राशियां अनर्जक आस्ति बन जाती हैं तो मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंड के अनुसार उधारकर्तावार वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर उस ग्राहक को स्वीकृत अन्य निधिक सुविधाएं भी अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृतजाएंगी। तथापि अप्रैल 2007 से जून 2008 की अवधि के दौरान की गयी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं (वायदा संविदा तथा प्लेन वनीला स्वैप तथा ऑप्शंस को छोड़कर) के सकारात्मक बाजार-दर-आधारित मूल्य दर्शानेवाली कोई राशि, जो पहले ही देय हो चुकी है या भविष्य में देय हो सकती, तो उसे ग्राहक/प्रतिपक्षकार के नाम में खोले गये अलग खाते में रखा जाना चाहिए। यह राशि 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक अतिदेय होने पर भी उधारकर्तावार आस्ति वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर ग्राहक को दी गयी अन्य निधिक सुविधाओं को अनर्जक आस्ति में परिणत नहीं करेगी, हालांकि 90 दिन या उससे अधिक अवधि से अतिदेय ऐसी प्राप्य राशियां विद्यमान आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आइआरएसी) मानदंडों के अनुसार स्वयं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों की अन्य आस्तियों का वर्गीकरण विद्यमान आइआरएसी मानदंडों के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

ख) यदि संबंधित ग्राहक बैंक का उधारकर्ता भी हो जो बैंक से नकदी ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर रहा हो तो उपर्युक्त उप अनुच्छेद (क) में उल्लिखित प्राप्य राशियों को नियत तिथि को उस खाते में नामे डाला जाए जिससे उसकी अदायगी न होने का प्रभाव नकदी ऋण/ ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते में परिलक्षित होगा। विद्यमान मानदंडों के अनुसार यहाँ भी उधारकर्तावार आस्ति वर्गीकरण का सिद्धांत लागू होगा।

ग) उन मामलों में जहाँ संविदा में यह प्रावधान है कि डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता के पहले उसके वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य का निर्धारण होगा, वहाँ 90 दिन की अतिदेय अवधि के बाद केवल वर्तमान ऋण एक्सपोजर (संभावित भावी एक्सपोजर नहीं) को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

घ) चूँकि उपर्युक्त अतिदेय प्राप्य राशियाँ ऐसी अप्राप्त आय को दर्शाती हैं जिसे बैंक ने उपचय के आधार पर पहले ही बही कर लिया है, 90 दिनों की अतिदेय अवधि के बाद 'लाभ और हानि खाते' में पहले ही ले जायी गयी राशि प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए तथा जैसा अतिदेय अग्रिमों के मामले में किया जाता है, उसी प्रकार उसे 'उचंत खाता - क्रिस्टलीकृत प्राप्य' में धारित किया जाना चाहिए।

ड) आगे, यह स्पष्ट कि या जाता है कि उन मामलों में जहाँ डेरि वेटि व संवि दाओं में भवि ष्य में और नि पटान होने की व्यवस्था हो, वहाँ बाजार दर आधारि त (एमटीएम) मूल्य के अंतर्गत (क) देय (क्रिस्टलीकृत) प्राप्य राशि यां और (ख) भावी प्राप्य राशि यों के संबंध में धनात्मक या ऋणात्मक एमटीएम शामि ल होगा। यदि अति देय प्राप्य राशि यों का 90 दि न

तक भुगतान नहीं होने पर डेरि वेटि व संवि दा समाप्त नहीं की जाती है तो ऊपर अनु. (घ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि खाते से देय प्राप्य राशि यों के प्रतिवर्तन के अलावा भावी प्राप्य राशि यों से संबंधित धनात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से प्रतिवर्तित किया जाना चाहिए और उसे "उचंत खाता - धनात्मक एमटीएम" नामक खाते में रखा जाना चाहिए। इसके बाद होने वाला एमटीएम मूल्य में धनात्मक परिवर्तन 'उचंतखाता - धनात्मक एमटीएम' में जमा कि या जाना चाहिए, लाभ और हानि खाते में नहीं। उसके बाद होने वाली एमटीएम मूल्य में गिरावट 'उचंत खाता - धनात्मक एमटीएम' की शेष राशि में समायोजित की जानी चाहिए। यदि इस खाते की शेष राशि पर्याप्त न हो तो बाकी राशि लाभ और हानि खाते में नामे की जानी चाहिए। अति देय राशि यों का नकद भुगतान होने पर 'उचंतखाता - देय (क्रिस्टलिकृत) प्राप्य राशि यों' की शेष राशि या उस हद तक 'लाभ और हानि खाते' में अंतरित की जा सकती हैं, जि स हद तक भुगतान प्राप्त हुआ हो।

च) यदि बैंक का उधारकर्ता को अन्य डेरि वेटि व एक्सपोजर हो, तो कि सी भी एक डेरि वेटि व लेनदेन से संबंधित पर देय/ नि पटान राशि के एनपीए वर्गीकृत होने अन्य डेरि वेटि व एक्सपोजर के एमटीएम पर भी ऊपर सब अनु. (ङ) में वर्णित तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए।

छ) इसी प्रकार, यदि कि सी उधारकर्ता को दी गयी निधि आधारित ऋण सुविधा एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाती है तो सभी डेरि वेटि व एक्सपोजर के एमटीएम पर उपर्युक्त तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए।

4.2.8 सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम

संघीय व्यवस्था के अंतर्गत खातों का आस्ति-वर्गीकरण सदस्य बैंकों के अपने वसूली के रेकॉर्ड और अग्रिमों की वसूली की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। जब संघीय ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा प्रेषित निधियां एक बैंक के पास एकत्र की जाती हैं और / या प्रेषित निधियां प्राप्त करने वाला बैंक जब अन्य सदस्य बैंकों का हिस्सा नहीं देता है तो अन्य सदस्य बैंकों की बहियों में उक्त खाते में 'अप्राप्ति' मानी जायेगी और इस प्रकार उक्त खाता अनर्जक आस्ति माना जायेगा। इसलिए संघीय ऋण-व्यवस्था में भाग लेने वाले बैंकों को अपनी संबंधित लेखा बहियों में समुचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए वसूली का अपना हिस्सा अग्रणी बैंक से

अंतरित कराने की व्यवस्था करनी चाहिए या वसूली के अपने हिस्से को अंतरित करने के लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

4.2.9 ऐसे खाते जहां उधारकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी की गई है / प्रतिभूति के मूल्य में कमी आई है

4.2.9.1 खाते जहां प्रतिभूति के मूल्य में क्षरण या प्रतिभूति उपलब्ध न होना और उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी जैसे अन्य घटक के अस्तित्व के कारण वसूली को संभावित खतरे हैं, यह विवेकपूर्ण नहीं होगा कि ऐसे खाते आस्ति वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरें। इस तरह की गंभीर ऋण क्षति के मामलों में, आस्तिको उचितानुसार सीधे संदिग्ध या हानि संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए:

- क) प्रतिभूति के मूल्य में क्षरण को तब महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित मूल्य या पिछले निरीक्षण के समय आरबीआई द्वारा स्वीकार किये गए मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो गया हो, यथास्थिति। ऐसे अनर्जक आस्ति को सीधे संदिग्ध वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- ख) यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/ आरबीआई द्वारा मूल्यांकन की गई प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, उधार खातों में बकाया के 10 प्रतिशत से कम है, तो सुरक्षा के अस्तित्व को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे हानि वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

4.2.9.2 धोखाधड़ी के सभी मामलों के संबंध में प्रावधानीकरण मानदंड:

- क) बैंकों को आमतौर पर धोखाधड़ी का पता चलते ही बैंक को देय सम्पूर्ण राशि के लिए या जिसके लिए बैंक उत्तरदायी है (जमाखाते के मामलों सहित) प्रावधान करना चाहिए। आवश्यक प्रावधान की गणना करते समय, बैंक धोखाधड़ी खाते के रूप में घोषित खातों के संबंध में बासेल III पूंजी विनियम - क्रेडिट जोखिम (मानकीकृत दृष्टिकोण) के लिए पूंजी शुल्क के तहत पात्र वित्तीय संपार्श्विक, यदि कोई हो, को समायोजित कर सकते हैं;
- ख) हालांकि, त्रैमासिक लाभ और हानि पर इस तरह के प्रावधान के प्रभाव को सुगम बनाने के लिए, बैंकों के पास धोखाधड़ी का पता लगानेवाली तिमाही से कुछ अवधि के लिए, जो चार तिमाहियों से अधिक न हो, प्रावधान बनाने का विकल्प है;
- ग) जहां बैंक किसी धोखाधड़ी से संबन्धित प्रावधान को दो से चार तिमाहियों में करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण प्रावधान एक से अधिक वित्तीय वर्ष में किया जाना पड़ता है, तो बैंकों को प्रावधान के लिए जमा द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदान नहीं

की गई राशि को "अन्य रिज़र्व" [अर्थात्, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) के अनुसार सृजित आरक्षण को छोड़कर] से के नामे करना चाहिए। हालांकि, बैंकों को आनुपातिक रूप से 'अन्य रिज़र्व' में किए गए नामे वापस करने चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष की बाद की तिमाहियों में लाभ और हानि खाते को नामे करते हुए प्रावधान पूरा करना चाहिए;

घ) बैंक रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या, ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि, वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा और वर्ष के अंत में 'अन्य रिज़र्व' के नामे किए गए असंशोधित प्रावधान की मात्रा के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण करेंगे।

4.2.10 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस)/किसान सेवा समितियों (एफएसएस) को अग्रिम

ऑन-लेंडिंग व्यवस्था के तहत बैंकों द्वारा पीएसीएस/ एफएसएस को प्रदान किए गए कृषि अग्रिमों के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम के संबंध में पीएसीएस/एफएसएस को प्रदान की गई उस विशेष ऋण सुविधा को ही एनपीए वर्गीकृत किया जाएगा जो देय होने के बाद, अल्पावधि फसलों के मामले में दो फसल अवधि और दीर्घावधि फसलों के मामले में एक फसल अवधि के लिए चूक में रही है, यथास्थिति, न कि पीएसीएस/ एफएसएस को मंजूर की गई सभी ऋण सुविधाओं के लिए यह लागू होगा। ऑन-लेंडिंग व्यवस्था के बाहर बैंक द्वारा पीएसीएस/एफएसएस के सदस्य उधारकर्ता को प्रदान किए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण व अग्रिम, अगर कुछ है, तो वह एनपीए बन जाएंगे अगर उसी उधारकर्ता को प्रदान की गई कोई एक भी ऋण सुविधा एनपीए हो जाती है तो।

4.2.11 मीयादी जमा, एनएससी, केवीपी/आईवीपी आदि की जमानत पर दिये गए अग्रिम

मीयादी जमा, सरेंडर हेतु पात्र एनएससी, आईवीपी, केवीपी और लाइफ पॉलिसियों की जमानत पर दिये गए अग्रिमों को एनपीए मानने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो। स्वर्ण आभूषण, सरकारी प्रतिभूतियाँ और सभी अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर दिये गए अग्रिम इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं।

4.2.12 ब्याज के भुगतान हेतु अधिस्थगन प्राप्त ऋण

4.2.12.1 औद्योगिक परियोजनाओं या कृषि वृक्षारोपण आदि के लिए दिए गए बैंक वित्तीयन के मामले में जहां ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन उपलब्ध है, ब्याज का भुगतान स्थगन या परियोजना के प्रारंभ से कार्यारंभ तक की अवधि के बाद ही देय होता है। इसलिए, ब्याज संबंधी

ऐसी राशियां नामे होने की तारीख से अतिदेय नहीं बनती और इसलिए उस तारीख के संदर्भ में एनपीए नहीं बनती। वह ब्याज के भुगतान की तारीख के बाद असमाहरित रहने पर अतिदेय बनती हैं।

4.2.12.2. स्टाफ सदस्यों को प्रदान किए गए आवास ऋण या समान अग्रिमों के मामले में, जहां मूल की वसूली के पश्चात ब्याज देय होता है, प्रथम तिमाही से ही ब्याज को अतिदेय मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऋण/अग्रिम तभी एनपीए वर्गीकृत किए जाएंगे जब संबंधित देय तारीख को मूल की किश्त या ब्याज के भुगतान में चूक होती है।

4.2.13 कृषि अग्रिम

4.2.13.1 जब अल्पावधि फसल के लिए प्रदान किए गए ऋण के मूल या ब्याज की किश्त का भुगतान दो फसल अवधियों के लिए अतिदेय रहता है तो उसको एनपीए माना जाएगा। जब दीर्घावधि फसलों के लिए प्रदान किए गए ऋण की मूलराशि या ब्याज का भुगतान एक फसल अवधि के लिए अतिदेय रहता है तो उसे एनपीए माना जाएगा। इन दिशानिर्देशों के लिए एक साल से अधिक फसल अवधि वाली फसलों को “दीर्घावधि” फसल माना जाएगा और जो “दीर्घावधि” फसल नहीं हैं, उनको “अल्पावधि” फसल माना जाएगा। प्रत्येक फसल के लिए फसल अवधि, जिसका मतलब है उगाई गई फसलों की कटाई तक की अवधि, प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकों की समिति (एसएलबीसी) द्वारा निर्धारित की जाएगी। कृषक द्वारा उगाई गई फसल की अवधि के आधार पर उनके द्वारा लिए गए कृषि मीयादी ऋणों पर भी उपर्युक्त एनपीए संबंधी मानदंड लागू किए जाएंगे।

4.2.13.2 उपर्युक्त मानदंड अनुबंध 2 में सूचीबद्ध किए गए कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए कृषि ऋण पर ही लागू किये जाने चाहिए। अनुबंध 2 में निर्धारित को छोड़कर, अन्य कृषि ऋणों के संबंध में एनपीए की पहचान उसी प्रकार से की जाएगी जैसे गैर-कृषि अग्रिमों के लिए की जाती है जो वर्तमान में 90 दिनों की चूक पर आधारित है।

4.2.13.3 जहां प्राकृतिक आपदाएँ अनुबंध 2 में निर्धारित गतिविधियों के लिए कृषि उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता को प्रभावित करती हैं, बैंक अपने स्तर पर राहत उपाय के रूप में और दिनांक 17 अक्टूबर 2018 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 - एससीबी, समय-समय पर संशोधित, के अधीन अल्पावधि उत्पाद ऋण को मीयादी ऋण में परिवर्तित करने या चुकौती अवधि का पुनर्निर्धारण; और नया अल्पावधि ऋण मंजूर करने के प्रति निर्णय ले सकते हैं।

4.2.13.4 परिवर्तन या पुनर्निर्धारण जैसे मामलों में मीयादी ऋण के साथ-साथ नए अल्पावधि ऋण को वर्तमान देय के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें एनपीए वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण संशोधित शर्तों और नियमों के आधार पर किया जाएगा और अल्पावधि फसलों के लिए दो फसल अवधियों और दीर्घावधि फसलों के लिए एक फसल अवधि के लिए ब्याज और/या मूल राशि की किश्त अतिदेय रहने पर उन्हें एनपीए माना जाएगा।

4.2.13.5 इंदिरा आवास योजना और ग्रामीण स्वर्ण जयंती आवास वित्त योजना के तहत कृषकों को प्रदान किए गए ग्रामीण आवास अग्रिमों के मामले में चुकौती अनुसूची निर्धारित करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अग्रिमों पर देय ब्याज/किश्त फसल चक्र से सम्बद्ध किया गया है।

4.2.14 सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

4.2.14.1 केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण सुविधाएं में अतिदेय को तभी एनपीए माना जाएगा जब आह्वान करने पर सरकार अपनी गारंटी का निराकरण करने से मुकर जाती है। सरकार द्वारा गारंटीकृत प्राप्त अग्रिमों के एनपीए के वर्गीकरण से यह छूट आय निर्धारण संबंधी मानदंडोंके लिए नहीं है।

4.2.14.2 राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण सुविधाओं के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को तय करने के लिए गारंटी के आह्वान की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

4.2.14.3 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड लागू होते हैं अगर बैंक को देय ब्याज और/या मूल राशि या अन्य कोई राशि 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है।

4.2.15 कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

4.2.15.1 *‘वाणिज्यिक परिचालन के प्रारम्भ की तारीख’ (डीसीसीओ)*

वित्तीय संस्थान/ बैंकों द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाओं के लिए परियोजना के ‘वित्तीयक्लोजर’ के समय परियोजना की डीसीसीओ स्पष्ट रूप से व्यक्त की जानी चाहिए और उसको औपचारिक रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए। ऋण की मंजूरी के समय बैंक द्वारा मूल्यांकन नोट में भी इसको प्रलेखित किया जाना चाहिए।

4.2.15.2 *डीसीसीओ का स्थगन*

(i) कानूनी और सरकारी अनुमोदन आदि में विलंब जैसे अन्य बाहरी कारणों से परियोजनाओं के पूरा होने में देरी होने के अवसर होते हैं। ये सब घटक जो प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब का कारण बनते हैं जिससे बैंकों द्वारा ऋणों की

पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पड सकती है। तदनुसार, परियोजना ऋणों पर वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ होने से पहले आस्ति वर्गीकरण संबंधी निम्न मानदंड लागू होते हैं:

(ii) इसके लिए, सभी परियोजना ऋणों को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

क) आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण

ख) गैर- आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण

'परियोजना ऋण' का मतलब है कोई भी मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम खड़ा करने के उद्देश्य के लिए दिया गया है। इसके अलावा, आधारभूत संरचना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जो आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आधारभूत संरचना उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची में शामिल है।

(iii) डीसीसीओ का स्थगन और समान या कम अवधि के लिए चुकौती अनुसूची में परिणामी बदलाव (संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि सहित) को पुनर्गठन नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि:

क) संशोधित डीसीसीओ मूलभूत संरचना परियोजनाओं और गैर-मूलभूत संरचना परियोजनाओं (वाणिज्यिक स्थावर संपदा परियोजनाओं सहित) के लिए वित्तीय क्लोजर के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से क्रमशः दो साल और एक साल के भीतर आता है; और

ख) ऋण संबंधी अन्य सभी नियमों और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है।

चूंकि ऐसे परियोजना ऋणों को सभी पहलुओं में मानक आस्ति के रूप में माना जाएगा, उन पर 0.40 प्रतिशत मानक आस्ति प्रावधान लागू होगा।

(iv) बैंक उपरोक्त अनुच्छेद 4.2.15.2 (iii) (क) में उद्धृत समय सीमा के अतिरिक्त डीसीसीओ के संशोधन के माध्यम से परियोजना ऋणों का पुनर्गठन करने पर 'मानक' आस्ति वर्गीकरण को बनाए रख सकते हैं यदि नयी डीसीसीओ निम्नलिखित सीमाओं के भीतर आता है और खाता पुनर्गठित शर्तों के अनुसार सेवित किया जाना जारी रहता है:

क) *न्यायिक मामलों में फसी मूलभूत संरचना परियोजनाएँ*

अगर डीसीसीओ के विस्तार का कारण विवाचन कार्यवाही या कोई अदालती मुकदमा है तो और दो साल तक (ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2(iii)(क) में उद्धृत दो साल की अवधि से अधिक, अर्थात् कुल चार साल का विस्तार)।

ख) *प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से लंबित मूलभूत संरचना परियोजनाएँ*

अगर डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रवर्तकों के नियंत्रण से बाहर (अदालती मामलों को छोड़कर) है तो और एक साल तक (ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2(iii)(क) में उद्धृत दो साल की अवधि से अधिक, अर्थात् कुल तीन साल का विस्तार)।

ग) गैर-मूलभूत क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण (स्थावर संपदा एक्सपोजरों के अलावा)

और एक साल तक(ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2(iii)(क) में उद्धृत एक साल की अवधि के अलावा, अर्थात् कुल दो साल का विस्तार)।

घ) वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजरों के लिए परियोजना ऋण जो प्रवर्तक(कों) के नियंत्रण से बाहर के कारणों से लंबित हैं

एक और साल तक (ऊपर प 4.2.15.2(iii)(क) में उद्धृत एक साल की अवधि के अलावा, अर्थात् कुल दो साल का विस्तार) बशर्ते कि संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची केवल डीसीसीओ में विस्तार के बराबर या उससे कम अवधि के लिए बढ़ाई गई है और भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

(v) यह दोहराया जाता है कि परियोजना के लिए किसी ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारम्भ से पहले ही किसी भी समय वसूली के रिकार्ड के आधार पर (90 दिनों से अतिदेय) एनपीए वर्गीकृत किया जा सकता है। यह भी दोहराया जाता है कि अनुच्छेद 4.2.15.2 (iv) में उक्त छूट इस शर्त के अधीन है कि पुनर्गठन के लिए आवेदन ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2 (iii) (क) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होना चाहिए और वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार खाता तब भी मानक होना चाहिए। लागू होनेवाली अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं:

क) ऐसे मामले जहां ब्याज के भुगतान पर स्थगन है, बैंकों को ऐसे पुनर्गठित खातों में मौजूद उच्च जोखिम को देखते हुए मूलभूत संरचना और गैर-मूलभूत संरचना परियोजनाओं (वाणिज्यिक स्थावर संपदा परियोजनाओं सहित) के लिए मूल डीसीसीओ से क्रमशः दो साल और एक साल से अधिक अवधि के लिए उपचय आधार पर आय को बही नहीं करना चाहिए।

ख) बैंकों को ऐसे खातों पर निम्न प्रावधान रखने चाहिए जबतक कि वे मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत रहते हैं :

ब्योरे	आवश्यक प्रावधान
यदि संशोधित डीसीसीओ बुनियादी ढांचे और गैर-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (वाणिज्यिक स्थावर संपदा परियोजनाओं सहित) के लिए वित्तीय क्लोजर के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से क्रमशः दो वर्ष/एक वर्ष के भीतर है	0.40 प्रतिशत
अगर डीसीसीओ का विस्तार किया जाता है: i) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, विलंब के कारणों के आधार पर, मूल डीसीसीओ से दो साल के अतिरिक्त और चार या तीन सालों तक, यथास्थिति; ii) गैर-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (वाणिज्यिक स्थावर संपदा परियोजनाओं सहित) के लिए मूल डीसीसीओ से एक साल के अतिरिक्त और दो साल तक	5.00 प्रतिशत - इस तरह के पुनर्गठन की तारीख से संशोधित डीसीसीओ तक या पुनर्गठन की तारीख से 2 साल तक, जो भी बाद में हो

(vi) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में, जहां नियत तिथि (रियायत समझौते में परिभाषित) को रियायत प्राधिकरण की अपेक्षित शर्तों का पालन करने में असमर्थता के कारण स्थानांतरित कर दिया जाता है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक संचालन (डीसीसीओ) के प्रारम्भ होने की तारीख में बदलाव को 'पुनर्गठन' नहीं माना जाएगा:

- क) यह परियोजना किसी लोक प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत सार्वजनिक और निजी भीगीदारी मॉडलडेल की एक बुनियादी ढांचा परियोजना है।
- ख) ऋण संवितरण अभी शुरू नहीं हुआ है;
- ग) वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने की संशोधित तिथि को उधारकर्ता और उधारदाता के बीच एक पूरक समझौते के माध्यम से प्रलेखित किया जाता है और;
- घ) परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और पूरक समझौते के समय उपयुक्त प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त की गई है।

4.2.15.3 कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं - स्वामित्व में परिवर्तन

4.2.15.3.1 मुख्य रूप से वर्तमान प्रवर्तकों की प्रभावहीनता के कारण रुकी हुई परियोजनाओं के पुनरुद्धार की लिए, बैंक ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2 में उद्धृत अवधियों के दौरान या मूल डीसीसीओ से पहलेकिसी भी समय, निम्नलिखित अनुच्छेद में निर्धारित शर्तों के अधीन खाते

के आस्ति वर्गीकरण में किसी परिवर्तन के बिना, परियोजना के डीसीसीओ में उपरोक्त अनुच्छेद 4.2.15.2 में उद्धृत अवधि के अतिरिक्त दो साल तक के विस्तार की अनुमति दे सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो बैंक समान या कम अवधि के लिए परिणामी रूप से पुनर्भुगतान अनुसूची में बदलाव/विस्तार भी कर सकते हैं।

4.2.15.3.2 ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.3.1 में दर्शाया गया है) मूल डीसीसीओ से पहले होता है, और विस्तारित डीसीसीओ तक वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ करने में परियोजना असफल रहती है तो ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2 में उद्धृत दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना डीसीसीओ के और विस्तार के लिए पात्र होगी। उसी प्रकार, जहां ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2(iii)(क) में उद्धृत अवधि के दौरान स्वामित्व में परिवर्तन और डीसीसीओ का विस्तार होता है, तो भी खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए बिना ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2(iv) में उद्धृत दिशानिर्देशों के अनुसार डीसीसीओ का विस्तार करते हुए पुनर्गठित किया जा सकता है।

4.2.15.3.3 उपरोक्त अनुच्छेद 4.2.15.3.1 और 4.2.15.3.2 के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

- क) बैंकों को यह स्थापित करना चाहिए कि परियोजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से वर्तमान प्रवर्तकों/प्रबंधन की प्रभावहीनता के कारण रुकी/प्रभावित है और स्वामित्व में परिवर्तन के साथ विस्तारित अवधि के भीतर परियोजना द्वारा वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की बहुत अधिक संभावना है;
- ख) विचाराधीन परियोजना का अधिग्रहित/उपार्जित उसक्षेत्र के संचालन में पर्याप्त विशेषज्ञता वाले नए प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह द्वारा किया जाना चाहिए। यदि अधिग्रहण एक विशेष प्रयोजन वाहन (देशीय या विदेशी) द्वारा किया जा रहा है, तो बैंक स्पष्ट रूप से यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि अधिग्रहण करने वाली इकाई उस क्षेत्र के संचालन में पर्याप्त विशेषज्ञता वाले एक नए प्रवर्तक समूह का हिस्सा है ;
- ग) नए प्रवर्तकों के पास अधिग्रहित परियोजना की चुकता इक्विटी पूंजी में कम से कम 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी होनी चाहिए। यदि नया प्रवर्तक अनिवासी है, और उन क्षेत्रों में जहां विदेशी निवेश की सीमा 51 प्रतिशत से कम है, नए प्रवर्तक के पास चुकता इक्विटी पूंजी में कम से कम 26 प्रतिशत या लागू विदेशी निवेश सीमा तक, जो भी अधिक है, का स्वामित्व होना चाहिए, बशर्ते बैंक संतुष्ट हों कि इस इक्विटी हिस्सेदारी के साथ नया अनिवासी प्रवर्तक परियोजना के प्रबंधन को नियंत्रित करता है;

- घ) परियोजना की व्यवहार्यता बैंकों की संतुष्टि के अनुसार स्थापित की जानी चाहिए।
- ङ) मौजूदा प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह से संबंधित अन्य संस्थाओं/अनुषंगियों/सहयोगियों आदि (देशीय और विदेशी) द्वारा ग्रूप के अंतर्गत व्यापार पुनर्गठन/विलय/अधिग्रहण और/या परियोजना का अधिग्रहित/ उपार्जित इस सुविधा के लिए योग्य नहीं होगा। बैंकों को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि अधिग्रहणकर्ता मौजूदा प्रवर्तक समूह से संबंधित नहीं है;
- च) विस्तारित अवधि के दौरान खाते का आस्ति वर्गीकरण 'संदर्भ तिथि' के अनुसार जारी रहेगा। इसके लिए, 'संदर्भ तिथि' लेन-देन के पक्षों के बीच प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख होगी, बशर्ते कि इस तरह के अधिग्रहित/ उपार्जित को नियंत्रित करने वाले कानून/ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वामित्व का अधिग्रहित/ उपार्जित प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा हो गया हो। बीच की अवधि के दौरान, सामान्य आस्तिवर्गीकरण मानदंड का लागू होना जारी रहेगा। यदि प्रारंभिक बाध्यकारी समझौते के 90 दिनों के भीतर स्वामित्व में परिवर्तन पूरा नहीं होता है, तो 'संदर्भ तिथि' ऐसे अधिग्रहित/ उपार्जित को नियंत्रित करने वाले कानून/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण/टेक ओवर की प्रभावी तिथि होगी;
- छ) नए मालिकों/प्रवर्तकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विस्तारित समय अवधि के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन का पर्याप्त हिस्सा लाकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। परियोजना के लिए लागत में वृद्धि के वित्तपोषण की प्रक्रिया इस परिपत्र के अनुच्छेद 4.2.15.5 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन होगी। इस परिपत्र के अनुच्छेद 4.2.15.5 में निर्धारित सीमा से अधिक लागत के वित्तपोषण को पुनर्गठन माना जाएगा, भले ही डीसीसीओ का विस्तार ऊपर निर्धारित सीमा के भीतर हो;
- ज) ऊपर दिए गए लाभों के लिए डीसीसीओ (2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक) के विस्तार पर विचार करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनर्भुगतान अनुसूची परियोजना के आर्थिक जीवन/रियायती अवधि के 85 प्रतिशत से अधिक न हो; तथा
- झ) यह सुविधा किसी परियोजना को डीसीसीओ प्राप्ति से पहले केवल एक बार उपलब्ध होगी और उसके बाद स्वामित्व में परिवर्तन, अगर हो तो, के दौरान उपलब्ध नहीं होगी।
- 4.2.15.3.4 इस दिशानिर्देश के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए प्रावधानीकरण उनके आस्ति वर्गीकरण पर लागू मौजूदा प्रावधान मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

4.2.15.4 अनुमानित डीसीसीओ

4.2.15.4.1 एकाधिक स्वतंत्र इकाइयों वाली एक परियोजना को, निम्नलिखित के शर्तों के अधीन, उस तारीख से वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ किया गया माना जाएगा जब मूल रूप से परिकल्पित क्षमता के 50 प्रतिशत (या अधिक) का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वतंत्र इकाइयों ने मूल रूप से परिकल्पित सुनिश्चित उत्पादन का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया है:

- क. मूल रूप से परिकल्पित क्षमता के शेष 50 प्रतिशत (या उससे कम) का प्रतिनिधित्व करनेवाली इकाइयां वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ की अनुमानिततारीख से एक वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करेंगे;
- ख. परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता पुनर्मूल्यांकन पर निस्संदिग्ध पायी जाती है; और
- ग. संयंत्र इकाइयों जिन्होंने वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ कर दिया है, उनसे संबन्धित ऋण घटक के ब्याज दायित्व का पूंजीकरण हो गया है और राजस्व व्यय को राजस्व खाते के तहत दर्ज किया जा रहा है।

4.2.15.4.2 ऐसे मामलों में, बैंक अपने विवेकानुसार, जिन इकाइयों ने वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ नहीं किया है, उनसे संबंधी ऋण की चुकौती अनुसूची में समतुल्य या कम अवधि अर्थात् एक साल तक का परिणामी बदलाव प्रभावी कर सकते हैं।

4.2.15.4.3 यदि शेष इकाइयाँ उपरोक्त अनुच्छेद 4.2.15.4.1 (क) में निर्धारित एक वर्ष के समय के भीतर वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं करती हैं, तो खाते को अनर्जक आस्ति वर्गीकृत किया जाएगा और तदनुसार प्रावधानीकरण किया जाएगा।

4.2.15.5 कार्यान्वयन के अधीन आनेवाली परियोजनाओं के लिए लागत में वृद्धि का वित्तपोषण

4.2.15.5.1 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाले उधारदाता जरूरत पड़ने पर होने वाली लागत में वृद्धि के लिए 'अतिरिक्त ऋण सुविधा' को मंजूरी देते हैं। ऐसी 'अतिरिक्त ऋण सुविधाएं' प्रारंभिक वित्तीय क्लोजर के समय मंजूर की जाती हैं; लेकिन केवल लागत में वृद्धि आने पर ही संवितरित की जाती हैं। उधारकर्ताओं/परियोजना के ऋण निर्धारण के समय, परियोजना ऋण इक्विटी अनुपात, ऋण चुकौती कवरेज अनुपात, अचल संपत्ति कवरेज अनुपात, आदि का निर्धारण करते समय इस तरह की लागत में वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाता है। इस तरह

की 'अतिरिक्त ऋण सुविधाएं' मूल परियोजना ऋणों के समान होती हैं और उनकी चुकौती अनुसूची भी मूल परियोजना ऋणों के समान ही होती है।

4.2.15.5.2 तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां बैंकों ने लागत में वृद्धि के लिए प्रारंभिक वित्तीय क्लोज़र के समय विशेष रूप से एक 'अतिरिक्त सुविधा' स्वीकृत की है, वे सहमत अनुकूल नियमों और शर्तों के अनुसार लागत वृद्धि को निधि दे सकते हैं।

4.2.15.5.3 जहां प्रारंभिक वित्तीय क्लोज़र में ऐसे लागत में वृद्धि के वित्तपोषण की परिकल्पना नहीं की गई है, बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऋणों को 'पुनर्गठित आस्ति' माने बिना लागत वृद्धि, जो मूलभूत संरचना और गैर-मूलभूत संरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय क्लोज़र के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से क्रमशः दो साल और एक साल के विस्तार के कारण उत्पन्न होती है, का वित्तपोषण करने की अनुमति है :

- क) बैंक परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त 'निर्माण के दौरान ब्याज' के लिए निधि दे सकते हैं,;
- ख) मूल परियोजना लागत के अधिकतम 10% तक अन्य लागत वृद्धि (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर);
- ग) प्रारंभिक वित्तीय क्लोज़र के समय सहमत ऋण इक्विटी अनुपात, लागत में वृद्धि के निधिकरण के फलस्वरूप अपरिवर्तित रहना चाहिए या उधारदाताओं के पक्ष में बढ़ना चाहिए और संशोधित ऋण चुकौती कवरेज अनुपात उधारदाताओं को स्वीकार्य होना चाहिए;
- घ) लागत में वृद्धि के लिए निधि का संवितरण प्रायोजकों/प्रवर्तकों द्वारा लागत में वृद्धि के निधीयन के प्रति अपना हिस्सा लाने के पश्चात ही किया जाना चाहिए; और
- ङ) ऋण संबंधी सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहनी चाहिए या उधारदाताओं के पक्ष में बढ़नी चाहिए।

4.2.15.5.4 ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.5.3(ख) में उल्लिखित मूल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की सीमा अन्य करेंसी के प्रति/मुक़ाबले भारतीय रुपए में उतार-चढ़ाव के कारण लागत में वृद्धि सहित वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ होने की तारीख में विस्तार के कारण उत्पन्न होनेवाले अन्य सभी लागतों में वृद्धि के वित्तपोषण के लिए लागू है।

4.2.15.6 अन्य मामले

4.2.15.6.1 वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने से पहले परियोजना ऋणों के पुनर्गठन संबंधी अन्य सभी पहलू इस मास्टर परिपत्र के भाग ख-1 और भाग ख2 के प्रावधानों के आधीन होंगे। वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के पश्चात परियोजना ऋणों का पुनर्गठन भी इन अनुदेशों के अनुसार होगा।

4.2.15.6.2 परियोजना के दायरे/ कार्य-क्षेत्र और आकार/ पैमाने में वृद्धि के कारण किसी परियोजना की चुकौती अनुसूची में किसी प्रकार के परिवर्तन को पुनर्गठन नहीं माना जाएगा अगर:

क) परियोजना के दायरा/कार्य-क्षेत्र और आकार/पैमाने में वृद्धि मौजूदा परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत से पहले होती है।

ख) मूल परियोजना के संबंध में किसी प्रकार की लागत में वृद्धि को छोड़कर लागत में वृद्धि मूल लागत के 25% या उससे अधिक है।

ग) दायरे में वृद्धि को मंजूरी देने और नया डीसीसीओ तय करने से पहले बैंक परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन करता है और करता है।

घ) पुनःरेटिंग (अगर पहले रेटिंग की गई है) करने पर, नयी रेटिंग पुरानी रेटिंग से एक स्तर से अधिक नीचे नहीं है।

4.2.15.6.3 डीसीसीओ का एक से अधिक बार संशोधन और उसके फलस्वरूप चुकौती अनुसूची में समान या कम अवधि (संशोधित चुकौती अनुसूची की शुरुआती और समाप्ति तारीख सहित) के लिए बदलाव को पुनर्गठन के एक प्रसंग के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि संशोधित डीसीसीओ ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2(iv) में निर्धारित तत्संबंधित समयसीमा के भीतर निश्चित किया गया है, ऋण संबंधी अन्य सभी शर्तों और नियमों में कोई परिवर्तन नहीं है।

4.2.15.6.4 बैंक, अगर उपयुक्त लगे, ऊपर अनुच्छेद 4.2.15.2(iv) में निर्धारित तत्संबंधितसमयसीमा से अधिक डीसीसीओ का विस्तार कर सकते हैं; तथापि, उस मामले में, बैंक ऐसे ऋण खातों के 'मानक' आस्ति वर्गीकरण को बनाए नहीं रख सकते।

4.2.15.6.5 पुनर्गठन संबंधी उपर्युक्त सभी मामलों में जहां विनियामक छुट प्रदान की गयी है, बैंकों के बोर्ड को परियोजना और पुनर्गठन योजना की व्यवहार्यता के संबंध में संतुष्टि करनी चाहिए।

4.2.15.7 डीसीसीओ के स्थगन और लागत में वृद्धि से संबंधित कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण

4.2.15.7.1 वे मामले जहां डीसीसीओ का विस्तार अनुच्छेद 4.2.15.2 में निर्धारित अवधियों के भीतर किया गया है और लागत में वृद्धि का निधीयन अनुच्छेद 4.2.15.5 में उल्लिखित सीमा/शर्तों का अनुपालन करता है, ऐसे ऋण सभी अर्थों में 'मानक' के रूप में मान लिये जाएंगे।

4.2.15.7.2 वे मामले जहां डीसीसीओ का विस्तार अनुच्छेद 4.2.15.2 में निर्धारित अवधियों के भीतर किया गया है लेकिन लागत में वृद्धि का निधीयन अनुच्छेद 4.2.15.5 में निर्धारित सीमा/शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, ऐसे ऋणों को 'पुनर्गठित मानक' के रूप में लिया जाएगा और उनके लिए पुनर्गठन की तारीख से वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने तक या 2 साल तक, जो भी बाद में आता है, 5 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया जाएगा। पूरी परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने के पश्चात इन ऋणों को 'मानक' श्रेणी में उन्नयित किया जा सकता है।

4.2.15.7.3 वे मामले जहां डीसीसीओ का विस्तार अनुच्छेद 4.2.15.2(iii) में निर्धारित अवधियों से अधिक लेकिन अनुच्छेद 4.2.15.2 (iv) में निर्धारित अवधियों के भीतर किया जाता है और लागत में वृद्धि का निधीयन अनुच्छेद 4.2.15.5 में निर्धारित सीमा/शर्तों का अनुपालन करता है, ऐसे ऋणों को 'पुनर्गठित मानक' के रूप में मान लिया जाएगा और उनके लिए पुनर्गठन की तारीख से वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख तक या 2 साल तक, जो भी बाद में आता है, 5 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया जाएगा। पूरी परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने के पश्चात इन ऋणों को 'मानक' श्रेणी में उन्नयित किया जा सकता है।

4.2.15.7.4 वे मामले जहां डीसीसीओ का विस्तार अनुच्छेद 4.2.15.2(iii) में निर्धारित अवधियों से अधिक लेकिन अनुच्छेद 4.2.15.2 (iv) में निर्धारित अवधियों के भीतर किया जाता है और लागत में वृद्धि का निधीयन अनुच्छेद 4.2.15.5 में निर्धारित

सीमा/शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, ऐसे ऋणों को 'अनर्जक आस्ति' के रूप में माना जाएगा। इन ऋणों को डीसीसीओ प्राप्ति के बाद 'मॉनिटरिंग अवधि' के दौरान संतोषजनकप्रदर्शन के बाद ही 'मानक' के रूप में उन्नयित किया जा सकता है;

4.2.15.7.5 विशेष रूप से अनुमत सीमाओं/शर्तों के अनुसार अनुमत डीसीसीओ में विस्तार, चुकौती अनुसूची में परिणामी समानांतर बदलाव और लागत में वृद्धि का निधीयन, को छोड़कर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे उधारकर्ता के मूल परियोजना ऋणों (अर्थात् प्रवर्तकों का ईक्विटी अंशदान, ब्याज, आदि) की प्रमुख शर्तों और नियमों में किसी परिवर्तन को 'पुनर्गठन' माना जाएगा जिसके फलस्वरूप खाते को 'अनर्जक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक होगा और तदनुसार प्रावधानीकरण भी किया जाएगा। इन ऋणों को डीसीसीओ प्राप्ति के बाद 'मॉनिटरिंग अवधि' के दौरान संतोषजनक प्रदर्शनके बाद ही 'मानक' के रूप में उन्नयित किया जा सकता है।

4.2.15.7.6 बैंक वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद परियोजनाओं के लिए स्वीकृत आवश्यकता आधारित कार्यशील पूंजी को ऐसे कार्यशील पूंजी खातों का संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन परियोजना ऋणों की आस्तिवर्गीकरण श्रेणी की परवाह किए बिना 'मानक' के रूप में मान सकते हैं। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यशील पूंजी ऋणों का निर्धारण कड़ाई से आवश्यकता आधारित हो और बैंक अति-वित्तपोषण से दूर रहेंगे। अगर 'अनर्जक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋण 'निगरानी अवधि' के दौरान संतोषजनक रूप से कार्यनिष्पादन नहीं करता अहि और इसलिए 'मानक' के रूप में अपग्रेड होने में विफल हो जाता है तो कार्यशील पूंजी ऋणों को भी उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिस प्रकार 'निगरानी अवधि' के पूरा होने के बाद परियोजना ऋणों को रखा जाता है।

4.2.15.8 आय निर्धारण

4.2.15.8.1 'मानक' के रूप में वर्गीकृत कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के संबंध में बैंक प्रोद्भवन के आधार पर आय निर्धारण कर सकते हैं, ।

4.2.15.8.2 अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के संबंध में प्रोद्भवन के आधार पर आय निर्धारण नहीं किया जा सकता।, । बैंक ऐसे खातों में केवल वसूली पर यानी नकद आधार पर आय निर्धारण कर सकते हैं।

4.2.15.8.3 मूलधन/अवैतनिक ब्याज, जैसा भी मामला हो, के रूपांतरण द्वारा निर्मित एफआईटीएल/ऋण/इक्विटी लिखतों का विनियमन इस मास्टर परिपत्र के भाग ख2 के अनुच्छेद 21 के अनुसार होगा।

4.2.16 आपूर्तिकर्ता को पोतलदानोत्तर ऋण

4.2.16.1 ऐसे देशों को माल के निर्यात के लिए बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे पोतलदानोत्तर ऋण जिनके लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटी उपलब्ध है, एक्सिम बैंक ने एक गारंटी-सह-पुनःवित्तीयन कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत, चूक होने पर, बैंक को गारंटीकृत राशि का भुगतान एक्सिम बैंक द्वारा, भुगतान निर्यातक द्वारा ईसीजीसी के पास दावा दायर करने के बाद बैंक द्वारा गारंटी का आह्वान करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। ।

4.2.16.2 तदनुसार, एक्सिम बैंक से प्राप्त भुगतान की सीमा तक, अग्रिम को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी उद्देश्यों के लिए अनर्जक आस्ति न माना जा सकता है। ।

4.2.17 निर्यात परियोजना वित्त

4.2.17.1 निर्यात परियोजना वित्त के संबंध में, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जहां वास्तविक आयातक ने विदेश में बैंक को देय राशि का भुगतान किया है लेकिन युद्ध, विवाद, यूनन प्रतिरोध, आदि राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण बैंक उसका विप्रेषण नहीं कर पा रहा है।

4.2.17.2 ऐसे मामलों में, जहां उधारदाता बैंक दस्तावेजी सबूत के जरिए यह साबित करने में समर्थ होता कि आयातक ने बैंक की बहियों में ऋण एनपीए घोषित किए जाने से पहले विदेश में बैंक में राशि जमा करते हुए देय राशि का पूर्ण रूप से निपटान किया है, लेकिन आयातक का देश राजनीतिक या अन्य कारणों से निधि के विप्रेषण की अनुमति नहीं दे रहा है, तो आयातक द्वारा विदेश में बैंक में रकम जमा करने की तारीख से एक साल की अवधि के बाद आस्ति वर्गीकरण किया जा सकता है।

4.2.18 ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण

हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण आवश्यकताएं भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निरदेश, 2021 के अनुसार होंगी।

4.2.19 क्रेडिट कार्ड खाते

4.2.19.1 क्रेडिट कार्ड खातों में, उपयोगकर्ताओं को पुर्नभुगतान के लिए, मासिक विवरण के माध्यम से खर्च की गई राशि का बिल भेजा जाता है। बैंक कार्ड उपयोगकर्ताओं को या तो पूरी राशि या उसके एक अंश अर्थात् देय न्यूनतम राशि का नियत तारीख पर भुगतान करने, और शेष राशि को बाद के महीनों के बिलिंग चक्र में रोल-ओवर का विकल्प देते हैं।

4.2.19.2 यदि विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि का विवरण में उल्लिखित भुगतान की देय तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह भुगतान नहीं किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक आस्ति माना जाएगा।

4.2.19.3 बैंक क्रेडिट कार्ड खाते को साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 'अतिदेय' के रूप में केवल तभी रिपोर्ट करेंगे या दंडात्मक शुल्क, अर्थात् देर से भुगतान शुल्क आदि, यदि कोई हो, लगाएंगे जब कोई क्रेडिट कार्ड खाता तीन दिनों से अधिक समय तक 'अतिदेय' रहता है। हालांकि, अतिदेय रहने के दिनों की संख्या और देर से भुगतान शुल्क की गणना क्रेडिट कार्ड विवरण में उल्लिखित भुगतान देय तिथि से की जाएगी।

5. प्रावधानीकरण मानदंड

5.1 सामान्य

5.1.1 ऋण आस्तियों, निवेश या अन्य आस्तियों के मूल्य में किसी भी कमी के लिए पर्याप्त प्रावधानीकरण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन और सांविधिक लेखा परीक्षकों की है। आरबीआई के निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन बैंक को, बैंक प्रबंधन और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के संदर्भ में पर्याप्त और आवश्यक प्रावधानीकरण करने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

5.1.2 विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानीकरण उपर्युक्त अनुच्छेद 4 में वर्णित अनुसार निर्धारित श्रेणियों में आस्तियोंके वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी खाते के वसूली में संदेहास्पद होने, उसकी मान्यता, प्रतिभूति की वसूली और बैंक को प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में समय के साथ हास के बीच समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और हानि आस्तियों के विरुद्ध निम्ननुसार प्रावधान करना चाहिए।

5.2 हानि आस्तियां

हानि आस्तियों को बट्टे खाते डालना चाहिए। यदि किसी भी कारण से हानि आस्तियों को बहियों में रहने की अनुमति दी जाती है, तो बकाया के 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाए।

5.3 संदिग्ध आस्तियां

5.3.1 उस सीमा का शत-प्रतिशत जिस तक अग्रिम जमानत के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होता है, जिसके लिए बैंक के पास वैध मार्ग है और वास्तविक आधार पर वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

5.3.2 सुरक्षित हिस्से के संबंध में, संपत्ति के संदिग्ध रहने की अवधि के आधार पर, सुरक्षित हिस्से के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दरों पर निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जा सकता है:

अवधि जिसके लिए अग्रिम 'संदिग्ध' श्रेणी में रहा है 'संदिग्ध' श्रेणी में रहा	आवश्यक प्रावधान (%)
एक वर्ष तक	25
एक से तीन वर्ष तक	40
तीन वर्ष से अधिक	100

5.3.3 सुरक्षा के मूल्य के आकलन में अंतर से उत्पन्न विचलन को कम करने के लिए, एनपीए के मामलों में ₹5 करोड़ और उससे अधिक के शेष एनपीए के मामलों में स्टॉक मूल्यांकन पर विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त बाहरी एजेंसियों द्वारा वार्षिक अंतराल पर स्टॉक ऑडिट अनिवार्य होगा। बैंक के पक्ष में चार्ज की गई अचल संपत्तियों जैसे संपार्श्विक को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तीन साल में एक बार मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

5.4 अवमानक आस्तियां

5.4.1 ईसीजीसी गारंटी कवर और प्रतिभूतियों को उपलब्ध कराए बिना कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.4.2 'अरक्षितएक्सपोजर' जिनकी पहचान 'अवमानक' के रूप में की गई है, उन पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान होगा, यानी बकाया राशि पर कुल का 25 प्रतिशत। तथापि, अवसंरचना ऋण के संबंध में उपलब्ध एस्करो खातों जैसे कुछ सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, अवसंरचना ऋण खाते जिन्हें अव-मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन पर 25 प्रतिशत के पूर्वोक्त निर्धारित के बजाय 20 प्रतिशत का प्रावधान होगा। कम प्रावधान के इस लाभ का फायदा उठाने के लिए, बैंकों के पास नकदी प्रवाह को एस्करो करने के लिए उपयुक्त तंत्र होना चाहिए और इन नकदी प्रवाहों पर एक स्पष्ट और पहला विधिक दावा भी होना चाहिए।

5.4.2 अरक्षित'संदिग्ध' आस्तियोंके लिए प्रावधान की आवश्यकता 100 प्रतिशत है। अरक्षितएक्सपोजर को एक ऐसे एक्सपोजर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के अनुसार सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य, शुरु से ही बकाया एक्सपोजर के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। 'एक्सपोजर' में सभी फंडेड और नॉन-फंडेड एक्सपोजर (हामीदारी और इसी तरह की प्रतिबद्धताओं सहित) शामिल होंगे। 'सुरक्षा' का अर्थ होगा बैंक को उचित रूप से दी गई मूर्त सुरक्षा और इसमें गारंटी (राज्य सरकार की गारंटी सहित), चुकौती आश्वासन पत्र आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां शामिल नहीं होंगी।

5.4.3 बैंकों के तुलन पत्र की अनुसूची 9 में गैर-जमानती अग्रिमों की पारदर्शिता बढ़ाने और सही प्रतिबिंब सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2009-10 से निम्नलिखित लागू होंगे:

क) प्रकाशित तुलन पत्र की अनुसूची 9 में दर्शाने के लिए गैर जमानती अग्रिमों की राशि का निर्धारण करने के लिए, बैंकों को उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (अवसंरचना परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक के रूप में प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि, ठोस सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा। इसलिए ऐसे अग्रिमों को अरक्षित माना जाएगा।

ख) हालांकि, सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकारों के संबंध में बैंक बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत वार्षिकी को मूर्त प्रतिभूति मान सकते हैं, जहां एक निश्चित स्तर का ट्रैफिक नहीं पाए जाने पर परियोजना प्रायोजक को मुआवजा देने का प्रावधान है, बशर्ते बैंकों का वार्षिकी और टोल संग्रह अधिकार प्राप्त करने का अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य और अपरिवर्तनीय है।

ग) यह देखा गया है कि अधिकांश बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, विशेष रूप से सड़क/राजमार्ग परियोजनाएं उपयोगकर्ता शुल्क आधारित हैं, जिसके लिए योजना आयोग ने मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) प्रकाशित किए हैं। इन्हें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा उनकी संबंधित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अपनाया गया है और वे उधारदाताओं को अपने ऋण की सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त सुविधा प्रदान करते हैं। उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, पीपीपी परियोजनाओं के मामले में, उधारदाताओं को देय ऋण को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, रियायत समझौते के अनुसार परियोजना प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित सीमा तक सुरक्षित माना जा सकता है:

- i. उपयोगकर्ता शुल्क/टोल/टैरिफ भुगतान एक एस्करो खाते में रखे जाते हैं जहां वरिष्ठ उधारदाताओं को रियायतग्राही द्वारा निकासी पर प्राथमिकता दी जाती है;
- ii. जोखिम का पर्याप्त रूप से शमन किया जाता है, जैसे कि यदि परियोजना राजस्व अनुमान से कम है तो, उपयोगकर्ता शुल्क में पूर्व-निर्धारित वृद्धि या रियायत अवधि में वृद्धि,;
- iii. रियायतग्राही द्वारा चूक के मामले में उधारदाताओं को प्रतिस्थापन का अधिकार है;
- iv. ऋण सेवा में चूक के मामले में उधारदाताओं को समाप्ति ट्रिगर(trigger) करने का अधिकार है; तथा
- v. समाप्ति पर, परियोजना प्राधिकरण (i) अनिवार्य खरीद-आउट और (ii) पूर्व-निर्धारित तरीके से देय ऋण की चुकौती का दायित्व है।
- vi. ऐसे सभी मामलों में, बैंकों को त्रिपक्षीय करार के प्रावधानों की विधिक प्रवर्तनीयता और ऐसे अनुबंधों के साथ अपने पिछले अनुभव के कारक के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए।

घ) बैंकों को उन अग्रिमों की कुल राशि का भी खुलासा करना चाहिए जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है और साथ ही ऐसे अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य का भी खुलासा करना चाहिए। "खातों की टिप्पणियों" में एक अलग शीर्ष के तहत प्रकटीकरण किया जा सकता है। यह ऐसे ऋणों को अन्य पूरी तरह से अरक्षित ऋणों से अलग करेगा।

5.5 मानक संपत्ति

5.5.1 सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं। वैश्विक ऋण संविभाग आधार पर फंडेड बकाया निधि के लिए बैंकों को मानक आस्तियों के लिए निम्नलिखित दरों पर सामान्य प्रावधान करना चाहिए:

- क. कृषि गतिविधियों के लिए कृषि ऋण, व्यक्तिगत आवास ऋण और लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) क्षेत्रों पर 0.25 प्रतिशत ;
- ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई - आरएच)¹ क्षेत्र को अग्रिम पर 1.00 प्रतिशत ;
- ग. वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए अग्रिम - आवासीय निवास क्षेत्र (सीआरई - आरएच)² पर 0.75 प्रतिशत
- घ. टीज़र दरों पर दिए गए आवास ऋण अनु. 5.9.9 में बताए अनुसार;

¹ सीआरई जैसे कि [दिनांक 9 सितंबर, 2009 के परिपत्र बैपवि.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.015/2009-10](#) के अनुसार 'व्यावसायिक रियल एस्टेट (सीआरई) एक्सपोजर के रूप में एक्सपोजर के वर्गीकरण पर दिशानिर्देश' के अनुसार परिभाषित किया गया है।

² सीआरई-आरएच [दिनांक 21 जून 2013 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 104/08.12.015/2012-13](#) 'आवास क्षेत्र: सीआरई में नया उप-क्षेत्र सीआरई (आवासीय निवास) और प्रावधानीकरण, जोखिम-भार और एलटीवी अनुपात के युक्तिकरण' में परिभाषित किया गया है।

- ड. पुनर्चित अग्रिम - जैसा कि अग्रिमों की पुनर्चना के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों में निर्धारित है।
- च. मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 - अनुसूचित सहकारी बैंक, समय-समय पर अद्यतन, के अनुसार पुनर्गठित और मानक के रूप में वर्गीकृत अग्रिम पर 5% ।
- छ. अन्य सभी ऋण और अग्रिम जो ऊपर (क) - (च) में शामिल नहीं हैं पर 0.40 प्रतिशत ।

5.5.2 निवल एनपीए निकालने के लिए मानक आस्तियों के प्रावधानों की गणना नहीं की जानी चाहिए।

5.5.3 मानक आस्तियों से संबंधित प्रावधानों को सकल अग्रिमों से घटाए जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और अन्य प्रावधान' के तहत 'मानक आस्तियों में आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाए।

5.5.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यम उद्यम 0.40% मानक आस्तिप्रावधान को आकर्षित करेंगे। सूक्ष्म उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों की शर्तों की परिभाषा समय-समय पर अद्यतीत [2 जुलाई, 2020 के एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21](#) के 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र क्रेडिट प्रवाह' पर परिपत्र के अनुसार होगी।

5.5.5 संस्थाओं के उच्च स्तर के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर उच्च मुद्रा अस्थिरता के समय में चूक की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अतः बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने उधारकर्ताओं की हेज न की गई स्थिति के जोखिम का अनुमान [15 जनवरी 2014 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14](#) और साथ ही हमारे 3 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में दिए गए निर्देशों के अनुसार लगाएं और ऐसी संस्थाओं के प्रति उनके एक्सपोजर पर वृद्धिशील प्रावधान करें:

संभावित हानि / ईबीआईडी (%)	वर्तमान प्रावधानों के अलावा कुल ऋण एक्सपोजर पर वृद्धिशील प्रावधान की आवश्यकता
15 प्रतिशत तक	0
15 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	20बीपीएस
30 प्रतिशत से अधिक तथा 50 प्रतिशत तक	40बीपीएस
50 प्रतिशत से अधिक तथा 75 प्रतिशत तक	60बीपीएस
75 प्रतिशत से अधिक	80 बीपीएस

इस प्रयोजन के लिए, ईबीआईडी, जैसा कि डीएससीआर की गणना के लिए परिभाषित किया गया है = कर के बाद लाभ + मूल्यहास + ऋण पर ब्याज + लीज रेंटल, यदि कोई हो।

5.6 अस्थायी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड

5.6.1 बैंकों द्वारा अस्थायी प्रावधान बनाने का सिद्धांत

बैंक के निदेशक मंडल को उस स्तर के संबंध में अनुमोदित नीति बनानी चाहिए जिस स्तर तक अस्थायी प्रावधान बनाए जा सकते हैं। बैंक को 'अग्रिम' और 'निवेश' के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान रखने चाहिए और निर्धारित दिशानिर्देश 'अग्रिम' और 'निवेश पोर्टफोलियो' दोनों के लिए धारित अस्थायी प्रावधानों पर लागू होंगे।

5.6.2 बैंकों द्वारा अस्थायी प्रावधानों के उपयोग का सिद्धांत

5.6.2.1 अस्थायी प्रावधानों का उपयोग गैर-निष्पादित आस्तियों के संबंध में मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रावधान करने या मानक आस्तियों के लिए विनियामक प्रावधान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने और आरबीआई की पूर्व अनुमति के बाद हासिल खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया जा सकता है। बैंकों के बोर्ड को एक अनुमोदित नीति बनानी चाहिए कि किन परिस्थितियों को असाधारण माना जाएगा।

5.6.2.2 बैंकों के बोर्डों को इस संबंध में उपयुक्त नीतियां विकसित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसे नुकसान होते हैं जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न नहीं होते हैं और असाधारण और गैर-आवर्ती प्रकृति के होते हैं। ये असाधारण परिस्थितियाँ मोटे तौर पर तीन श्रेणियों के अंतर्गत आ सकती हैं नामतः, सामान्य, बाजार और ऋण। सामान्य श्रेणी के तहत, ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ किसी देश में नागरिक अशांति या मुद्रा के पतन जैसी घटनाओं के कारण बैंक को अप्रत्याशित रूप से नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों को भी सामान्य श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। बाजार श्रेणी में बाजार में सामान्य मंदी जैसी घटनाएं शामिल होंगी, जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करती हैं। क्रेडिट श्रेणी में, केवल असाधारण क्रेडिट हानियों को एक असाधारण परिस्थिति के रूप में माना जाएगा।

5.6.2.3 बैंकों पर कोविड-19 संबंधित तनाव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, बैंकों को विशिष्ट प्रावधान करने के लिए 31 दिसंबर, 2020 तक गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए उनके बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उनके द्वारा धारित अस्थायी प्रावधानों के 100 प्रतिशत का उपयोग करने की अनुमति है। इस तरह के उपयोग की अनुमति 31 मार्च, 2022 तक।

5.6.3 लेखांकन

अस्थायी प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में जमा करके वापस नहीं किया जा सकता है। उनका उपयोग केवल ऊपर उल्लिखित असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के उपयोग तक, शुद्ध एनपीए के प्रकटीकरण पर पहुंचने के लिए इन प्रावधानों को सकल एनपीए से घटाया जा

सकता है। वैकल्पिक रूप से, उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियोंके 1.25% की समग्र सीमा के भीतर टियर II पूंजी के हिस्से के रूप में माना जा सकता है।

5.6.4 प्रकटीकरण

बैंकों को तुलन पत्र में "खातों पर नोट्स" में अस्थायी प्रावधानों पर व्यापक प्रकटीकरण करना चाहिए (ए) फ्लोटिंग प्रावधान खाते में शेष राशि, (बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा, (सी) उद्देश्य और लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि, और (डी) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि।

5.7 निर्धारित दरों से अधिक पर अतिरिक्त प्रावधान

5.7.1 एनपीए के लिए:

प्रावधान के लिए विनियामकीय मानदंड न्यूनतम आवश्यकता को दर्शाते हैं। संग्रहणीय राशि में अनुमानित वास्तविक हानि प्रदान करने के लिए बैंक स्वैच्छिक रूप से मौजूदा विनियमों के तहत निर्धारित दरों से अधिक दरों पर अग्रिमों के लिए विशिष्ट प्रावधान कर सकता है, बशर्ते ऐसी उच्च दरें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हों और साल-दर-साल लगातार अपनाई जाती हों। ऐसे अतिरिक्त प्रावधानों को अस्थायी प्रावधान नहीं माना जाना चाहिए। एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान को, एनपीए पर न्यूनतम विनियामकीय प्रावधान के जैसे शुद्ध एनपीए पर पहुंचने के लिए सकल एनपीए से घटाया जा सकता है।

5.7.2 मानक संपत्ति के लिए:

इस मास्टर परिपत्र में निर्धारित प्रावधान दरें विनियामकीय न्यूनतम हैं और बैंकों को अर्थव्यवस्था के दबावग्रस्त क्षेत्रों को अग्रिमों के संबंध में उच्च दरों पर प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस संबंध में, निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

(i) बैंक विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम और दबाव के मूल्यांकन के आधार पर मानक आस्तियों के लिए विनियामकीय न्यूनतम से अधिक दरों पर प्रावधान करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित नीति तैयार करेंगे।

(ii) नीति में कम से कम त्रैमासिक आधार पर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें वर्तमान और उभरते जोखिमों और तनाव का मूल्यांकन करने के लिए बैंक का जोखिम है, के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की आवश्यकता होगी। समीक्षा में मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू शामिल हो सकते हैं जैसे ऋण-इक्विटी अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात, लाभ मार्जिन, डाउनग्रेड अनुपात में रेटिंग अपग्रेड, क्षेत्रीय गैर-निष्पादित संपत्ति / तनावग्रस्त संपत्ति, उद्योग प्रदर्शन और दृष्टिकोण, क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले कानूनी / विनियामकीय मुद्दे, आदि। समीक्षाओं में क्षेत्र विशिष्ट मानदंड भी शामिल हो सकते हैं।

5.8 लीज पर दी गई आस्तियों पर प्रावधान

5.8.1 अवमानक आस्तियां

- (i) लीज में निवल निवेश के योग का 15 प्रतिशत और वित्त प्रभार घटक के निवल वित्त आय का अप्राप्त भाग। 'पट्टे में शुद्ध निवेश', 'वित्त आय' और 'वित्त प्रभार' शब्द 'एएस 19 लीज' में परिभाषित हैं।
- (ii) अरक्षित (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 5.4 में परिभाषित किया गया है) लीज एक्सपोजर, जिनकी पहचान 'अवमानक' के रूप में की गई है, पर 10 फीसदी का अतिरिक्त यानी कुल 25 फीसदी प्रावधान होगा।

5.8.2 संदिग्ध संपत्ति

लीज पर दी गई संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य से जिस सीमा तक वित्त सुरक्षित नहीं है, उसका 100 प्रतिशत प्रदान किया जाना चाहिए। वास्तविक आधार पर वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाया जाना होगा। उपरोक्त प्रावधान के अलावा, लीज में शुद्ध निवेश और रक्षित हिस्से के वित्त प्रभार घटक के शुद्ध वित्त आय के अप्राप्त हिस्से, जो उस अवधि पर निर्भर करता है जिसके लिए आस्ति संदिग्ध रही है, के योग पर निम्नलिखित के दरों पर प्रावधान किया जाना चाहिए,:

वह अवधि जिसके लिए अग्रिम 'संदिग्ध' श्रेणी में रहा	प्रावधान आवश्यकता (%)
एक वर्ष तक	25
एक से तीन साल	40
तीन वर्ष से अधिक	100

5.8.3 हानि आस्तियां

संपूर्ण आस्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए, यदि किसी भी कारण से, किसी संपत्ति को बही खातों में रहने की अनुमति दी जाती है, तो पट्टे में शुद्ध निवेश के योग का 100 प्रतिशत और वित्त आय के अप्राप्त हिस्से को वित्त प्रभार घटक के निवल के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

5.9 विशेष परिस्थितियों में प्रावधानों के लिए दिशानिर्देश

5.9.1 जमाराशियों/विशिष्ट लिखतों पर अग्रिम

मीयादी जमाराशियों पर अग्रिम, अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, आईवीपी, केवीपी, स्वर्ण आभूषण, सरकार और अन्य प्रतिभूतियां और जीवन बीमा पॉलिसियां उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति पर लागू प्रावधान आवश्यकताओं को आकर्षित करेंगी।

5.9.2 ब्याज उंचत खाते का व्यवहार

ब्याज उंचत खाते में रखी गई राशि को प्रावधानों के हिस्से के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ब्याज उंचत खाते में पड़ी राशि को संबंधित अग्रिमों से काट लिया जाना चाहिए और उसके बाद, इस तरह की कटौती के बाद शेष राशि पर मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.9.3 ईसीजीसी गारंटी के अंतर्गत आने वाले अग्रिम

ईसीजीसी द्वारा संदिग्ध और गारंटीकृत के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामले में, केवल निगम द्वारा गारंटीकृत राशि से अधिक की शेष राशि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संदिग्ध आस्तियों के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान पर पहुंचते समय, प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य को पहले निगम द्वारा गारंटीकृत राशि के संबंध में बकाया शेष राशि से घटाया जाना चाहिए और फिर नीचे दर्शाए अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए:

उदाहरणार्थ

बकाया शेष राशि	रू. 4 लाख
ईसीजीसी कवर	50 प्रतिशत
वह अवधि जिसके लिए अग्रिम 'संदिग्ध' श्रेणी में रहा	2 वर्ष से अधिक संदिग्ध श्रेणी में रहा (जैसे, 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए)
धारित सुरक्षा का मूल्य	रू. 1.50 लाख

किया जाने वाला प्रावधान

बकाया शेष राशि	रू. 4.00 लाख
घटाएं: धारित सुरक्षा का मूल्य	रू. 1.50 लाख
गैर प्रतिफलित शेष	रू. 2.50 लाख
घटाएं: ईसीजीसी कवर (50% of unrealisable balance)	रू. 1.25 लाख

गैर रक्षित शेष	रू. 1.25 लाख
अग्रिम के अरक्षित हिस्से के लिए प्रावधान	रू. 1.25 लाख (@ अरक्षित हिस्से का 100 प्रतिशत)
अग्रिम के रक्षित हिस्से के लिए प्रावधान (31 मार्च 2012 की अवधि के लिए)	रू.0.60 लाख (@ अरक्षित हिस्से का 40 प्रतिशत)
किया जाने वाला कुल प्रावधान	रू.1.85 लाख (31 मार्च 2014 की अवधि के लिए)

5.9.4 सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) या कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) की गारंटी द्वारा कवर अग्रिम यदि सीजीटीएमएसई या सीआरजीएफटीएलआईएच गारंटी द्वारा कवर किया गया अग्रिम गैर-निष्पादित हो जाता है, तो गारंटीकृत हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रावधान पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसे दर्शानेवाला उदाहरण नीचे दिया गया है:

उदाहरण:

बकाया जमा रू. 10 लाख	बकाया जमा रू. 10 लाख
सीजीटीएमएसई या सीआरजीएफटीएलआईएच कवर	बकाया राशि का 75% या अरक्षितराशि का 75% या रु.37.50 लाख, जो भी कम से कम हो
अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध बना हुआ है	2 वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध रहा (मान लीजिए 31 मार्च 2014 को)
धारित सुरक्षा का मूल्य	रू.1.50 लाख

किया जाने वाला प्रावधान

बकाया शेष राशि	रू.10.00 लाख
घटाएं: धारित सुरक्षा का मूल्य	रू. 1.50 लाख
अरक्षित राशि	रू. 8.50 लाख
घटाएं: सीजीटीएमएसई/ सीआरजीएफटीएलआईएच कवर (75%)	रू. 6.38 लाख

निवल अरक्षित और कवर न किया गया हिस्सा:	रू. 2.12 लाख
रू.1.50 लाख के @ 40% की दर से रक्षित हिस्से के लिए प्रावधान	रू. 0.60 लाख
रू.2.12 लाख के @ 100% की दर से अरक्षित और कवर न किए गए हिस्से के लिए प्रावधान	रू. 2.12 लाख
कुल आवश्यक प्रावधान	रू. 2.72 लाख

5.9.5 विनिमय दर में उतार-चढ़ाव खाते के लिए आरक्षित (आरईआरएफए)

जब भारतीय रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव प्रतिकूल हो जाता है, तो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋणों जो अतिदेय हो जाता है (जहां वास्तविक संवितरण भारतीय रुपये में किया गया था) की बकाया राशि, प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के इसके सहवर्ती परिणामों के साथ समान रूप से बढ़ जाती है। ऐसी संपत्तियों का सामान्य रूप से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसी आस्तियों को लेखांकन प्रथाओं की आवश्यकता के अनुसार या किसी अन्य आवश्यकता के अनुसार पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:

- क. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले नुकसान को बैंक के लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाए।
- ख. आस्ति वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान की आवश्यकता के अलावा, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण पुनर्मूल्यांकन लाभ की पूरी राशि, यदि कोई हो, का उपयोग संबंधित आस्तियों में प्रावधान करने के लिए किया जाना चाहिए।

5.9.6 देश की जोखिम के लिए प्रावधान

5.9.6.1 बैंक 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष से निवल वित्तपोषित देश के एक्सपोजर पर नीचे उल्लिखित जोखिम श्रेणियों के अनुसार 0.25 से 100 प्रतिशत तक के श्रेणीबद्ध पैमाने पर प्रावधान करेंगे। प्रारंभ में, बैंक निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रावधान करेंगे:

जोखिम श्रेणी	ईसीजीसी वर्गीकरण	आवश्यक प्रावधान (प्रतिशत)
महत्वहीन	ए1	0.25
कम	ए2	0.25
मध्यम	बी1	5
उच्च	बी2	20
अति उच्च	सी1	25
प्रतिबंधित	सी2	100
ऑफ-क्रेडिट	डी	100

5.9.6.2 बैंकों को ऐसे देश के संबंध में देश के जोखिम के लिए प्रावधान करना आवश्यक है जहां उसका निवल निधिबद्ध एक्सपोजर उसकी कुल संपत्ति का एक प्रतिशत या अधिक है।

5.9.6.3 देश की जोखिम के लिए प्रावधान आस्ति के आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार आवश्यक धारित प्रावधानों के अतिरिक्त होगा। हालांकि, 'हानि आस्तियों' और 'संदिग्ध आस्तियों' के मामले में, देश के जोखिम के लिए धारित प्रावधान सहित प्रावधान, बकाया के 100% से अधिक नहीं हो सकता है।

5.9.6.4 बैंक 'स्वदेशी' एक्सपोजर यानी भारत में एक्सपोजर के लिए कोई प्रावधान नहीं करें। मेजबान देश में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के एक्सपोजर को शामिल किया जाना चाहिए। विदेशी बैंक अपनी भारतीय शाखाओं के कंट्री एक्सपोजर की गणना करेंगे और अपनी भारतीय बहियों में उपयुक्त प्रावधान रखेंगे। हालांकि, भारत में उनके एक्सपोजर को बाहर रखा जाएगा।

5.9.6.5 बैंक अल्पकालिक एक्सपोजर (यानी 180 दिनों से कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजर) के संबंध में प्रावधान का निम्न स्तर (उदाहरण के लिए आवश्यकता का 25%) बना सकते हैं।

5.9.7 प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए प्रदान की गई चलनिधि सुविधा के लिए प्रावधान मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में 90 दिनों से अधिक के लिए आहरित और बकाया चलनिधि सुविधा की राशि के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.9.8 डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं

ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप और गोल्ड के कारण उत्पन्न होने वाले अनुबंध के वर्तमान मार्क-टू-मार्केट के अनुसार गणना किए गए क्रेडिट एक्सपोजर, संबंधित प्रतिपक्षकारों की 'मानक' श्रेणी में ऋण आस्तियों पर लागू प्रावधान की आवश्यकता को भी आकर्षित करेंगे। मानक आस्तियों के प्रावधानों के व्यवहार के लिए लागू सभी शर्तें डेरिवेटिव और स्वर्ण एक्सपोजर के लिए उपरोक्त प्रावधानों पर भी लागू होंगी।

5.9.9 टीज़र दरों पर आवास ऋण का प्रावधान

यह देखा गया है कि कुछ बैंक पहले कुछ वर्षों में टीज़र दरों पर यानी तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर आवास ऋण स्वीकृत करने की प्रथा का पालन कर रहे हैं, जिसके बाद दरों को उच्च दरों पर रीसेट किया जाता है। यह प्रथा चिंता का विषय है क्योंकि सामान्य ब्याज दर, जो प्रारंभिक वर्षों में लागू दर से अधिक है, प्रभावी हो जाने पर कुछ उधारकर्ताओं को ऋण चुकाना मुश्किल हो सकता है। यह भी देखा गया है कि कई बैंक प्रारंभिक ऋण मूल्यांकन के समय सामान्य उधार दरों पर उधारकर्ता की चुकौती क्षमता को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए, ऐसे ऋणों की बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधान को उनसे जुड़े उच्च जोखिम को देखते हुए 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.00 प्रतिशत कर दिया गया है। यदि खाते 'मानक' बने रहते हैं, तो दरों को उच्च दरों पर रीसेट करने की तारीख से 1 वर्ष के बाद इन आस्तियों पर प्रावधान फिर से 0.40 प्रतिशत पर हो जाएगा।

5.9.10 बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रावधान की आवश्यकता

विनिर्दिष्ट उधारकर्ताओं के संबंध में, दिनांक 25 अगस्त 2016 को बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, बैंक अपने वृद्धिशील एक्सपोजर पर लागू प्रावधान के अतिरिक्त 3 प्रतिशत अंक का और उक्त दिशानिर्देशों में परिभाषित सामान्य रूप से अनुमत ऋण सीमा (एनपीएलएल) से अधिक बैंकिंग प्रणाली पर अतिरिक्त प्रावधान करेंगे। । यह उच्च प्रावधानीकरण आवश्यकता प्रत्येक बैंक के निर्दिष्ट उधारकर्ता के लिए वित्त पोषित एक्सपोजर के अनुपात में वितरित की जाएगी।

5.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

5.10.1 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) अनिवार्य रूप से सकल गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रावधान का अनुपात है और यह दर्शाता है कि बैंक ने ऋण हानियों को कवर करने के लिए कितनी धनराशि अलग रखी है।

5.10.2 मैक्रो-प्रूडेंशियल परिप्रेक्ष्य से, जब लाभ अच्छा हो तो बैंकों को अच्छे समय में प्रावधान और पूंजी बफर का निर्माण करना चाहिए, जिसका उपयोग मंदी में नुकसान को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत बैंकों की सुदृढ़ता के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को भी बढ़ाएगा। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को एनपीए के विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ फ्लोटिंग प्रावधानों से अपने प्रावधान कुशन में वृद्धि करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्लोटिंग प्रावधानों सहित उनका कुल प्रावधान कवरेज अनुपात 70 प्रतिशत से कम नहीं है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे इस मानदंड को सितंबर 2010 के अंत तक प्राप्त कर लें।

5.10.3 अधिकांश बैंकों ने 70 प्रतिशत का पीसीआर हासिल कर लिया था और उन्होंने आरबीआई को अभ्यावेदन दिया था कि क्या निर्धारित पीसीआर को निरंतर आधार पर बनाए रखना आवश्यक है। मामले की जांच की गई और बैंकों को सूचित किया गया कि:

(i) 30 सितंबर, 2010 को बैंकों में सकल एनपीए की स्थिति के संदर्भ में 70 प्रतिशत का पीसीआर हो सकता है;

(ii) विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार पीसीआर के तहत प्रावधान के अधिशेष को "काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर" प्रकार के खाते में अलग किया जाना चाहिए, जिसकी गणना अनुबंध - 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार की जा सकती है; तथा

(iii) इस बफर को बैंकों द्वारा आरबीआई के पूर्वानुमोदन से सिस्टम वाइड मंदी की अवधि के दौरान एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

5.10.4 बैंक के पीसीआर को तुलन-पत्र में खातों की टिप्पणियों में दर्शाया जाना चाहिए।

6 एनपीए को बट्टे खाते में डालना

6.1 सामान्य

6.1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(डी) के अनुसार, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की ऐसी श्रेणियों के संबंध में ब्याज के रूप में आय, जैसा कि इस तरह के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा ऋण, पिछले वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगा जिसमें इसे बैंक के लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो।

6.1.2 यह शर्त ऊपर बताए अनुसार किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान पर लागू नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, उपरोक्तानुसार एनपीए के लिए प्रावधान करने के लिए अलग रखी गई राशियां कर कटौती के लिए पात्र नहीं हैं।

6.1.3 इसलिए, बैंकों को या तो दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रावधान करना चाहिए या ऐसे अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना चाहिए और अपने लेखापरीक्षकों/कर सलाहकारों के परामर्श से उपयुक्त कार्यप्रणाली विकसित करके ऐसे कर लाभों का दावा करना चाहिए जो लागू हों। ऐसे खातों में की गई वसूली को नियमों के अनुसार कर उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6.2 प्रधान कार्यालय के स्तर पर बट्टे खाते डालना

6.2.1 बैंक शाखा की बहियों में संबंधित अग्रिमों के बकाया रहते हुए भी प्रधान कार्यालय स्तर पर अग्रिमों को बट्टे खाते डाल सकते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि संबंधित खातों को दिये गये वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान किया जाये। दूसरे शब्दों में, यदि अग्रिम हानि वाली आस्ति है तो उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करना होगा।

6.2.2 बैंक सार्वजनिक जमाओं के संरक्षक हैं और इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आस्तियों के मूल्य की रक्षा के लिए सभी प्रयास करेंगे। बैंकों को किसी भी खाते को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डालने से पहले वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना चाहिए। यह देखा गया है कि कुछ बैंक खातों को तकनीकी बट्टे खाते में डालने का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण वसूली के लिए प्रोत्साहन कम हो जाते हैं। आंशिक और तकनीकी बट्टे खाते में डालने का सहारा लेने वाले बैंकों को ऋण के शेष भाग को मानक आस्तियों के रूप में नहीं दिखाना चाहिए। अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, अब से बैंकों को इस मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक -4 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले जाने के बारे में अलग विवरण सहित बट्टे खाते में डाले जाने का पूरा विवरण देना चाहिए।

7. अनर्जक आस्ति प्रबंधन - प्रभावी प्रणाली और गहन आंकड़ों की आवश्यकता

7.1 बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता उनकी वित्तीय सुदृढ़ता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। अतः बैंकों को अपने मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं एमआईएस ढांचे की समीक्षा करनी चाहिए तथा अलग अलग खाते के स्तर पर एवं सेगमेंट (आस्ति श्रेणी, उद्योग, भौगोलिक आकार आदि) स्तर पर संकट के लक्षणों को आरंभ में ही पकड़ने के लिए एक मजबूत प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करनी चाहिए। ऐसे शीघ्र-चेतावनी देने वाले संकेतकों को

एक प्रभावी निवारक आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा स्थापित करने हेतु प्रयोग में लाया जाना चाहिए जिसमें उस समय लागू विनियामकीय ढांचे के अंतर्गत दबावग्रस्त अर्थक्षम खातों के लिए पारदर्शी पुनर्रचना प्रणाली शामिल है, ताकि सभी सेगमेंट में उन संस्थाओं के आर्थिक मूल्य को बचाए रखा जा सके।

7.2 बैंक की आईटी तथा एमआईएस प्रणाली मजबूत और सक्षम होनी चाहिए जो प्रभावी निर्णय लेने हेतु बैंक की आस्ति गुणवत्ता के संबंध में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सूचना उत्पन्न करने में समर्थ हो। विनियामकीय/सांविधिक रिपोर्टिंग तथा बैंक की अपनी एमआईएस रिपोर्टिंग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं में परस्पर कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अनर्जक आस्तियों तथा पुनर्रचित आस्तियों के संबंध में प्रणाली से उत्पन्न सेगमेंट-वार सूचना रखें जिनमें प्रारंभिक शेष, परिवर्धन, कटौतियां (उन्नयन, वास्तविक वसूली, राईट-ऑफ आदि), अंतिम शेष, धारित प्रावधान, तकनीकी राईट-ऑफ इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

भाग बी1. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए ढांचा

8. दबावग्रस्तता की आरंभ में ही पहचान और रिपोर्टिंग

8.1 उधारदाता³ चूक⁴ होते ही निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों को विशेष उल्लेखित खाते) एसएमए (के रूप में वर्गीकृत करके ऋण खातों में आसन्न दबाव की पहचान करेंगे।

एसएमए उप-श्रेणी	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्णतः या अंशतः अतिदेय है
एसएमए – 0	1 - 30 दिन
एसएमए – 1	31 – 60 दिन
एसएमए – 2	61 – 90 दिन

³ इस मास्टर परिपत्र के भाग बी-1 और बी-2 में निहित निर्देशों के उद्देश्य से, 'उधारदाताओं' का अर्थ निम्नलिखित होगा:

ए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);

बी. ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (नाबार्ड, एनएचबी, एक्जिम बैंक और सिडबी);

सी. लघु वित्त बैंक; और

डी. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी)।

⁴ चूक से तात्पर्य ऋण का भुगतान न किए जाने से है (आईबीसी के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार), जब देनदार या कार्पोरेट देनदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा लिया गया ऋण पूर्णतः या ऋण के किसी भाग या किश्त राशि का एक हिस्सा देय और भुगतान योग्य होने पर भुगतान न किया गया हो।

नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के संदर्भ में चूक का अर्थ यह भी होगा कि, उक्त शर्तों पर किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बकाया शेष, मंजूर सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से लगातार 30 दिनों से ऊपर अधिक बना हुआ है।

8.2 परिक्रामी ऋण सुविधाओं जैसे-नकदी ऋण के मामले में एसएमए उपश्रेणियाँ इस प्रकार होंगी:

एसएमए उप-श्रेणी	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्णतः या अंशतः अतिदेय है
एसएमए - 1	31 - 60 दिन
एसएमए - 2	61 - 90 दिन

8.3 22 मई 2014 को जारी परिपत्र⁵ [सं.बैंपवि.ऑसमोस.14703/33.01.001/2013-14](#) में निहित अनुदेशों तथा अनुवर्ती संशोधनों में प्रावधान किए गए अनुसार उधारदाता उनके पास उपलब्ध 5 करोड़ और उससे अधिक समग्र एक्सपोज़र⁶ वाले सभी उधारकर्ता संस्थाओं की रिपोर्ट बड़े ऋणों की सूचनाओं की सेंट्रल रिपोज़िटरी (सीआरएलआईसी) को देंगे, जिसमें एसएमए के रूप में वर्गीकृत खाते भी शामिल है। सीआरआईएलसी - मुख्य रिपोर्ट मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही, उधारदाता द्वारा सभी उधारकर्ताओं द्वारा की गई चूकों (5 करोड़ तथा उससे अधिक समग्र एक्सपोज़र वाली) की साप्ताहिक सूचना हर शुक्रवार को, अथवा यदि शुक्रवार छुट्टी का दिन है तो उससे पहले के कार्यदिवस पर सीआरआईएलसी को प्रस्तुत करेंगे।

9. समाधान योजना का कार्यान्वयन

9.1 इस ढांचे के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए सभी उधारदाताओं को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी चाहिए, जिसमें समाधान हेतु समय सीमा शामिल होगी। चूंकि किसी उधारदाता के साथ चूक उधारकर्ता के वित्तीय दबाव देर से समझ में आने वाला (लैगिंग) संकेतक है, यह अपेक्षित है कि उधारदाता चूक से पहले ही संकल्प योजना (आरपी) को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। किसी भी स्थिति में, उधारदाताओं में से किसी के द्वारा उधारकर्ता को चूककर्ता सूचित किया जाता है, तो बाकी उधारदाता ऐसी चूक के तीस दिनों के भीतर ("समीक्षा अवधि") उधारकर्ता के खाते की प्रथम दृष्ट्या समीक्षा करेंगे। तीस दिन की इस समीक्षा अवधि के दौरान, उधारदाता समाधान रणनीति पर निर्णय लेंगे, जिसमें आरपी की प्रकृति, आरपी के कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण आदि शामिल हैं। उधारदाता दिवाला या वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

9.2 जिन मामलों में आरपी कार्यान्वित किया जाना है, उनमें सभी उधारदाता उपर्युक्त समीक्षा अवधि के दौरान एक अंतर-उधारदाता समझौता) आईसीए (करेंगे, जिसमें एक से अधिक उधारदाता⁷ से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में आरपी को अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने के लिए आधारभूत नियम दिए जाएंगे। आईसीए में यह प्रावधान होगा कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं) निधि-आधारित और गैर निधि-आधारित (के

⁵ इस मास्टर परिपत्र के भाग बी- 1 और भाग बी-2 के में जहां भी बैंकों को संबोधित परिपत्रों का संदर्भ दिया गया है, फूटनोट 3 में उल्लिखित अन्य ऋणदाता उनपर लागू संबंधित परिपत्र, यदि कोई हो, का संदर्भ लेंगे।

⁶ इन दिशानिर्देशों के अधीन संकलित एक्सपोज़र में ऋणदाताओं के पास के सभी निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्सपोज़र शामिल होंगे।

⁷ जिन मामलों में आस्ति पुनर्रचना कंपनी (एआरसी) का संबंधित उधारकर्ता के प्रति एक्सपोज़र हो, वे भी आईसीए पर हस्ताक्षर करेंगे और इसके सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

मूल्य के अनुसार 75 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले और संख्या के अनुसार 60 प्रतिशत उधारदाताओं द्वारा सहमत निर्णय सभी उधारदाताओं के लिए बाध्यकारी होंगे। इसके अतिरिक्त आईसीए में, अन्य बातों के साथ-साथ, बहुसंख्यक उधारदाताओं के अधिकार और कर्तव्य, असहमत उधारदाताओं के कर्तव्य और अधिकारों की सुरक्षा, नकदी प्रवाह/विभेदित प्रतिभूति हित वाले उधारदाताओं का ट्रीटमेंट आदि के लिए प्रावधान होंगे। विशेष रूप से आरपी में, असहमत उधारदाताओं के लिए भुगतान, जो परिसमापन मूल्य⁸ से कम नहीं हो, का प्रावधान होगा।

9.3 उधारदाताओं के साथ एक सीमा से अधिक जोखिम वाले खातों के संबंध में, जैसा कि नीचे दिया गया है, "संदर्भ तिथि" के बाद, समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों के भीतर आरपी लागू किया जाएगा। समीक्षा अवधि की शुरुआत निम्नलिखित के बाद नहीं होगी:

(क) संदर्भ तिथि, यदि संदर्भ तिथि पर चूक में है; या

(ख) संदर्भ तिथि के बाद पहली चूक की तिथि।

9.4 उपर्युक्त उद्देश्य के लिए संदर्भ तिथियां निम्नानुसार होंगी:

उधारकर्ता के प्रति 3 (क), 3 (ख) और 3 (ग) में उल्लिखित उधारदाताओं का सकल एक्सपोजर	संदर्भ तिथि
रु 20 बिलियन और अधिक	इस निदेश की तिथि
रु 15 बिलियन और अधिक, लेकिन रु 20 बिलियन से कम	1 जनवरी 2020
रु 15 बिलियन से कम	यथासमय घोषित किया जाएगा

9.5 (समाधान योजना) आरपी (में ऐसी कोई कार्रवाईयां/योजनाएं/पुनर्गठन शामिल हो सकते हैं, जिनमें उधारकर्ता संस्था द्वारा सभी अतिदेय बकाया राशियों का भुगतान करना, अन्य संस्थाओं/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री करना, स्वामित्व में परिवर्तन या पुनर्रचना⁹ शामिल होगी, किंतु इस तक सीमित नहीं होगी। सभी उधारदाताओं द्वारा समाधान की योजना के संदर्भ में स्पष्ट प्रलेखन किया जाएगा) नियम और शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने पर भी।

⁸ परिसमापन मूल्य का अर्थ है संबंधित उधारकर्ता की आस्तियों का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, यदि ऐसे उधारकर्ता को समीक्षा अवधि आरंभ होने की तिथि को परिसमापित किया जाए।

⁹ पुनर्रचना एक ऐसी कार्रवाई है जिसके अंतर्गत ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को उनकी वित्तीय समस्या से संबंधित आर्थिक, विधिक कारणों से छूट दी जाती है। पुनर्गठन में आम तौर पर ऋण/प्रतिभूतियों की शर्तों का संशोधन शामिल होता है, जिसमें चुकोती अवधि/पुनर्देय राशि/ब्याज किश्तों की राशि/ऋण सुविधाओं का रोल ओवर; अतिरिक्त ऋण सुविधा की मंजूरी; मौजूदा साख सीमाओं की वृद्धि; और, समझौता निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान में तीन महीने से अधिक समय हो आदि शामिल हो सकते हैं।

10. आरपी के कार्यान्वयन के लिए शर्तें

10.1 जिन खातों में उधारदाताओं का समग्र एक्सपोज़र 100 करोड़ से अधिक है और जिनके आरपी में पुनर्चना/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल है, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) सीआरए (द्वारा अवशिष्ट ऋण¹⁰ का स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन) आईसीई (अनिवार्य होगा। 5 बिलियन या उससे अधिक समग्र एक्सपोज़र वाले खातों के लिए ऐसे दो आईसीई तथा अन्य के लिए एक आईसीई अनिवार्य होगा। केवल ऐसे आरपी जो अवशिष्ट ऋण के लिए, एक या दो सीआरए से, जैसा भी मामला हो, से आरपी⁴ स्तर या उससे बेहतर ऋण संबंधी मत प्राप्त करते हैं, उनके कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आईसीई निम्नलिखित के अधीन होगी:

(क) उधारदाताओं द्वारा सीआरए को सीधे नियुक्त किया जाएगा तथा इस कार्य के लिए प्रभार का भुगतान उधारदाताओं द्वारा किया जाएगा।

(ख) यदि उधारदाता अपेक्षित से अधिक संख्या में सीआरए से आईसीई प्राप्त करते हैं, तो ऐसे सभी आईसीई मत आरपी⁴ या बेहतर स्तर के होंगे, तभी आरपी के कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा।

10.2 ऐसे उधारकर्ता जिनका ऋण एक्सपोज़र उधारदाताओं के प्रति जारी रहता है, के संबंध में आरपी को तभी कार्यान्वित माना जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों:

क) जिस आरपी में पुनर्चना/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल नहीं है, उसके संबंध में आरपी को तभी कार्यान्वित माना जाएगा जब उधारकर्ता समीक्षा अवधि की समाप्ती के 180वें दिन किसी भी उधारदाता के संदर्भ में चूककर्ता नहीं हो। 180 दिन की अवधि के बाद किसी भी चूक को नई चूक माना जाएगा और पुनः समीक्षा की आवश्यकता होगी।

ख) जिस आरपी में पुनर्चना/स्वामित्व में परिवर्तन शामिल है, उसके संबंध में आरपी को तभी कार्यान्वित माना जाएगा जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हों:

- i. संबंधित उधारदाता द्वारा कार्यान्वित होने वाले आरपी के अनुसार संबंधित प्रलेखीकरण, जिसमें उधारदाताओं तथा उधारकर्ताओं के बीच आवश्यक करारों का निष्पादन/सेक्यूरिटी चार्ज का सृजन/प्रतिभूतियों का प्रयोग शामिल हैं, समाप्त कर लिए जाएँ।
- ii. सभी उधारदाताओं और उधारकर्ताओं की बहियों में मौजूदा ऋणों की शर्तों में परिवर्तन तथा/अथवा नया पूंजी ढांचा विधिवत दर्शाया गया है।
- iii. उधारकर्ता किसी भी उधारदाता के साथ चूक में नहीं है।

10.3 जिस आरपी में उधारदाता द्वारा तीसरे पक्ष को एक्सपोज़र सौंपकर एक्सपोज़र से बाहर निकालना शामिल है या जिस आरपी में वसूली कार्रवाई शामिल है, उन्हें केवल तभी लागू माना जाएगा जब उधारकर्ता के प्रति एक्सपोज़र पूर्णतः समाप्त हो जाए।

¹⁰ इस संदर्भ में अवशिष्ट ऋण का तात्पर्य प्रस्तावित आरपी के अनुसार सभी ऋणदाताओं द्वारा धारित करने के लिए परिकल्पित समग्र ऋण (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) से है।

¹¹ अनुबंध-5 में आरपी चिह्नों की सूची दी गई है, जिसे सीआरए द्वारा आईसीई तथा उसके आशय के रूप में दिया जा सकता है।

11. समाधान योजना का विलंबित कार्यान्वयन

11.1 जहां किसी उधारकर्ता के संबंध में एक व्यवहार्य आरपी, नीचे दी गई समयसीमा के भीतर कार्यान्वित नहीं की जाती है, सभी उधारदाता निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान करेंगे:

व्यवहार्य आरपी के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा	कुल बकाया (निधिगत+गैर-निधिगत) के % के रूप में किए जाने के लिए अतिरिक्त प्रावधान, यदि आरपी समयसीमा के भीतर कार्यान्वित नहीं होती
समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिन	20%
समीक्षा अवधि की शुरुआत से 365 दिन	15% (यानी कुल अतिरिक्त प्रावधान 35%)

11.2 यह अतिरिक्त प्रावधान निम्नलिखित में से उच्चतर के अतिरिक्त होगा, और कुल धारित प्रावधानों की अधिकतम सीमा कुल बकाया के 100% तक रखे जाने के अधीन होगी:

(क) पहले से धारित प्रावधान; या,

(ख) उधारकर्ता खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रावधान।

11.3 ये अतिरिक्त प्रावधान उन सभी उधारदाताओं द्वारा रखे जाएंगे जिनका ऐसे उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर हो।

11.4 उन मामलों में भी, जहां उधारदाताओं ने वसूली की कार्रवाई शुरू की है, अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता होगी, जब तक कि वसूली की कार्रवाई पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती।

11.5 उपरोक्त अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार वापस हो सकते हैं:

(क) जहां आरपी में उधारकर्ता द्वारा केवल अतिदेय का भुगतान शामिल है - अतिरिक्त प्रावधान केवल तभी वापस किए जा सकते हैं जब उधारकर्ता अतिदेय का निपटान करने की तारीख से 6 महीने की अवधि तक के लिए किसी भी उधारदाता के साथ चूक में नहीं है;

(ख) जहां आरपी में आईबीसी के बाहर स्वामित्व में पुनर्गठन/परिवर्तन शामिल है - अतिरिक्त प्रावधान आरपी के कार्यान्वयन पर वापस किए जा सकते हैं;

(ग) जहां आईबीसी के तहत समाधान किया जाता है - अतिरिक्त प्रावधानों में से आधे को दिवाला आवेदन फाइल करने पर वापस किया जा सकता है और शेष अतिरिक्त प्रावधान को आईबीसी के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया में उधारकर्ता के प्रवेश करने पर वापस किया जा सकता है; या,

(घ) जहां ऋण/वसूली को असाइन करने की शुरुआत की गई है - ऋण/वसूली को असाइन कर दिए जाने पर अतिरिक्त प्रावधान वापस किए जा सकते हैं।

12. विवेकपूर्ण मानदंड

किसी भी पुनर्रचना के लिए लागू संशोधित विवेकपूर्ण मानदंड, चाहे आईबीसी ढांचे के तहत हो या आईबीसी के बाहर, इस मास्टर परिपत्र के भाग बी²¹² में निहित हैं।

13. पर्यवेक्षी समीक्षा

उधारदाता द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने में कोई भी विफलता या खातों की वास्तविक स्थिति छिपाने या दबावग्रस्त खातों को बेहतर दिखाने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य पर रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली सख्त पर्यवेक्षी/प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ऐसे खातों पर उच्च प्रावधानीकरण और मौद्रिक दंड¹³ शामिल होंगे, लेकिन केवल इन तक सीमित नहीं होंगे।

14. प्रकटीकरण

उधारदाता कार्यान्वित की गई समाधान योजनाओं के संबंध में अपने वित्तीय विवरण में, "लेखा पर टिप्पणी" के अंतर्गत उचित प्रकटीकरण करेंगे।

15. अपवाद

15.1 इस ढांचे की उपर्युक्त अनुच्छेद 9, 10 और 11, समय-समय पर संशोधित दिनांक [17 मार्च 2016](#)

के परिपत्र [सं.एफ़आईडीडी.एमएसएमई & एनएफ़एस.बीसी.सं 21/06.02.31/2015-16](#) में निहित

अनुदेशों के अंतर्गत आने वाले एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर लागू नहीं होंगी।

15.2 उन उधारकर्ता संस्थाओं के लिए इस मास्टर परिपत्र का भाग बी 1 उपलब्ध नहीं होगा, जिनके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा पहले ही आईबीसी के तहत दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए बैंकों को विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं। उधारदाता इस तरह के मामलों को उन्हें जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ाएंगे।

15.3 निम्नलिखित परिपत्रों के अंतर्गत लागू किए गए **कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए समाधान**

इस संबंध में विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड सहित विशिष्ट अपेक्षाओं के अधीन होगा :

(i) दिनांक 7 सितंबर, 2020 को कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड विषय पर जारी [परिपत्र संख्या वि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21](#) के साथ पठित [दिनांक 6 अगस्त, 2020 को जारी "कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचा"](#) पढ़ें।

(ii) 06 अगस्त 2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - ऋणों का पुनर्गठन विषय पर जारी [परिपत्र वि.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21](#);

¹² जिस अवधि में आरपी को अंतिम रूप दिया और कार्यान्वित किया जा रहा है, उसमें सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानक लागू होंगे, जो इस परिपत्र में दिए गए अनुसार अतिरिक्त प्रावधानीकरण मानक के अधीन होंगे। आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल इसलिए नहीं रुकनी चाहिए कि आरपी विचाराधीन है।

¹³ यह बैंक/बैंकों को आईबीसी के तहत दिवाला फाइल करने के निदेश के अतिरिक्त हो सकता है।

- (iii) 04 जून 2021 को जारी “समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान - समग्र एक्सपोजर के लिए सीमा में संशोधन” विषय पर जारी [परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2021-22](#) के साथ 05 मई 2021 को “समाधान ढांचा - 2.0: व्यक्तिगत और छोटे व्यवसायों के कोविड-19 संबंधित दबाव का समाधान” विषय पर जारी [परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22](#) पढ़ें;
- (iv) 04 जून 2021 को “समाधान ढांचा - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबंधित दबाव का निराकरण - समग्र एक्सपोजर के लिए सीमा में संशोधन” विषय पर जारी [परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22](#) के साथ 05 मई 2021 को “संकल्प ढांचा 2.0 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबंधित दबाव का निराकरण” विषय पर जारी [परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22](#) पढ़ें।

भाग बी2 पुनर्रचना पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड

16. पुनर्रचना की परिभाषा

- 16.1** पुनर्रचना वह कृत्य है जिसमें कोई उधारदाता, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से, उधारकर्ता को रियायतें देता है। सामान्य तौर पर पुनर्रचना में अग्रिम/प्रतिभूति की शर्तों में संशोधन किया जाता है, जिसमें सामान्यतः, अन्य के साथ-साथ; चुकौती अवधि में परिवर्तन/चुकाई जाने वाली राशि/किश्त की राशि/ब्याज दर/ऋण सुविधाओं का रोल ओवर/अतिरिक्त ऋण सुविधा की स्वीकृति/मौजूदा ऋण सीमा में वृद्धि/समझौता निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान में तीन महीने से अधिक समय हो, शामिल होते हैं।
- 16.2** इस प्रयोजन के लिए, इन दिशानिर्देशों के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर उधारदाताओं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में वित्तीय कठिनाई के विभिन्न संकेतों पर विस्तृत नीतियाँ भी होंगी, जिसमें एक विवेकपूर्ण बैंक से की गई अपेक्षा के अनुसार, वित्तीय कठिनाई का निर्धारण करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंड दिए गए होंगे। वित्तीय कठिनाई के निर्धारण से संबंधित नीति तैयार करने में उधारदाताओं की सहायता के लिए, वित्तीय कठिनाई के संकेतों की एक संकेतक सूची नीचे दी गई है:¹⁴

(क) ढांचे में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी चूक, वित्तीय कठिनाई के संकेतक के रूप में मानी जानी चाहिए, चाहे चूक किसी भी कारण से हुई हो।

(ख) उधारकर्ता ने चूक नहीं की है, लेकिन यह संभावना है कि उधारकर्ता रियायत के बिना निकट भविष्य में अपने किसी एक्सपोजर पर भविष्य में चूक जाएगा, उदाहरण के लिए, जब उसके एक्सपोजर पर भुगतान में देरी का एक पैटर्न रहा हो।

¹⁴ "समस्याग्रस्त आस्तियों का विवेकपूर्ण ट्रीटमेंट- अनर्जक एक्सपोजर और छूट की परिभाषा" पर बासल समिति दिशानिर्देशों पर आधारित”.

(ग) किसी उधारकर्ता की बकाया प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध होने की अपेक्षा पूरी न करने के कारण या वित्तीय कारणों से किसी एक्सचेंज की सूची से हटा दिया गया है, हटाए जाने की प्रक्रिया में है या हटाए जाने का खतरा है।

(घ) उधारकर्ता के वर्तमान परिचालन के स्तर को देखते हुए वास्तविक प्रदर्शन, आकलन और पूर्वानुमान के आधार पर उधारकर्ता के नकदी प्रवाह के मूल्यांकन से पता चलता है कि यह मौजूदा समझौते की संविदात्मक शर्तों के अनुसार निकट भविष्य में उसके सभी ऋणों या ऋण प्रतिभूतियों (ब्याज और मूलधन) का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है।

(ङ) उधारकर्ता की ऋण सुविधाएं अनर्जक स्थिति में हैं या रियायतों के बिना अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

(च) एक उधारकर्ता के मौजूदा एक्सपोजर को ऐसे एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो पहले से ही बैंक की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के अनुसार उधारकर्ता की चुकौती क्षमता में समस्या दर्शा चुका हो।

(छ) यह सूची वित्तीय कठिनाई के संभावित संकेतकों के उदाहरण देती है, लेकिन इसका उद्देश्य पुनर्चना से संबंधित मामलों में वित्तीय कठिनाई के संकेतकों की विस्तृत सूची प्रदान करना नहीं है। उधारदाताओं को उपर्युक्त के प्रमुख वित्तीय अनुपात और परिचालन मापदंडों को पूरक के तौर पर देखने की आवश्यकता होगी जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू शामिल होंगे। विशेष रूप से, वित्तीय कठिनाई को एक्सपोजर पर बकाया के बिना भी पहचाना जा सकता है। बोर्ड की अनुमोदित नीति और परिणामों की दृढ़ता की जाँच रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी निरीक्षण के भाग के रूप में की जाएगी।

17. विवेकपूर्ण मानदंड¹⁵

17.1 आस्ति वर्गीकरण

पुनर्चना के मामले में, "मानक" के रूप में वर्गीकृत खाते को तत्काल अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में अवक्रमित कर दिया जाएगा, अर्थात्, आरंभ में "अवमानक" खाते के रूप में। पुनर्चना हो जाने पर, अनर्जक आस्तियों का वही वर्गीकरण जारी रहेगा, जो पुनर्चना के पहले था। दोनों मामलों में, आस्ति वर्गीकरण इस मास्टर परिपत्र के भाग ए में दिये अनुसार अवधि-संबंधी मानदंडों से अधिशासित होता रहेगा।

17.2 उन्नयन के लिए शर्तें

17.2.1 एमएसएमई खातों के लिए उधारदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹25 करोड़ से कम होने की स्थिति में:

किसी खाते को 'मानक' के रूप में उन्नयन के लिए तभी माना जा सकता है जब निर्दिष्ट अवधि के दौरान उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो। पुनर्चना पैकेज की शर्तों के अनुसार सबसे लंबी अवधि के ऋण स्थगन के साथ ऋण सुविधा के लिए 'निर्दिष्ट अवधि' का अर्थ है ब्याज या मूलधन के पहले भुगतान के प्रारंभ से, जो भी बाद में हो, एक वर्ष की अवधि। संतोषजनक प्रदर्शन का

¹⁵ आईबीसी के तहत किए गए सहित, सभी समाधान योजनाओं पर लागू।

अर्थ है कोई भुगतान (ब्याज और/या मूलधन) 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय नहीं रहेगा। नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट खातों के मामले में, संतोषजनक निष्पादन का अर्थ है कि 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए खाते में शेष राशि स्वीकृत सीमा या निकासी सीमा, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

17.2.2 अन्य सभी खातों के लिए उप-अनुच्छेद 17.2.1 में शामिल नहीं किया गया

17.2.2.1 एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाते और उधारदाताओं द्वारा पुनर्चना पर एनपीए श्रेणी में बरकरार रखे गए खाते तभी उन्नयित किए जाएँ जब खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधाएं निम्न अवधि तक" संतोषजनक निष्पादन"¹⁶ दर्शा रही हों -आरपी के कार्यान्वयन की तिथि से लेकर आरपी के अनुसार बकाया मूलधन¹⁷ के 10% और पुनर्चना के भाग के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, की चुकौती (मॉनिटरिंग अवधि) तक।

बशर्ते कि आरपी की शर्तों के अंतर्गत ऋणस्थगन की अधिकतम अवधि वाली ऋण सुविधा के मूलधन या ब्याज के पहले भुगतान (जो भी बाद में हो) के आरंभ से एक वर्ष से पहले खाते का उन्नयन नहीं किया जा सकता।

17.2.2.2 इसके अलावा, ऐसे खाते जहां उधारदाताओं का सकल एक्सपोजर आरपी के कार्यान्वयन के समय 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, के उन्नयन हेतु पात्र होने के लिए संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्शाने के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक ऋण रेटिंग के लिए मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) सीआरए (द्वारा उन्नयन के समय निवेश श्रेणी¹⁸ (बीबीबी -या उससे बेहतर (में रेटिंग की आवश्यकता होगी। जहां 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सकल एक्सपोजर के लिए दो रेटिंग आवश्यक होंगी, वहीं 500 करोड़ रुपये से कम के लिए एक रेटिंग अपेक्षित होगी। यदि अपेक्षित संख्या से अधिक सीआरए से रेटिंग प्राप्त की गई हो, तो ऐसी सभी रेटिंग उन्नयन की पात्रता के लिए निवेश श्रेणी होनी चाहिए।

17.2.2.3 यदि मॉनिटरिंग अवधि में संतोषजनक कार्यनिष्पादन नहीं दर्शाया गया हो, तो आस्ति गुणवत्ता वर्गीकरण में उन्नयन इस मास्टर परिपत्र के भाग बी-1 और बी-2 या आईबीसी के तहत नई पुनर्चना/स्वामित्व में परिवर्तन के कार्यान्वयन के अधीन होगा। उधारदाता ऐसे खातों के लिए समीक्षा अवधि के अंत में 15% का अतिरिक्त प्रावधान करेंगे। यह

¹⁶ संतोषजनक निष्पादन का अर्थ है कि उधारकर्ता इकाई ने संबंधित अवधि के दौरान कभी भी चूक न की हो।

¹⁷ बकाया मूलधन ऋण में आरपी के कार्यान्वयन के बाद मौजूद ऋण/ऋण जैसी लिखतों सहित (यथा अपरिवर्ती डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्ती डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्ती प्रेफरेंस शेयर, अपरिवर्ती प्रेफरेंस शेयर) सभी ऋण सुविधाएं, शामिल होंगी। केवल इक्विटी और अनिवार्यतः इक्विटी में परिवर्तित होने वाली लिखतों को (जिनमें कोई विकल्प निहित नहीं हो) बकाया मूलधन ऋण के निर्धारण से छूट मिलेगी।

¹⁸ ये रेटिंग सीआरए द्वारा दिए गए सामान्य रेटिंग होंगे, न कि आईसीई, जिनका संदर्भ इस मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 10.1 में दिया गया है।

अतिरिक्त प्रावधान, अन्य अतिरिक्त प्रावधानों के साथ, कवरिंग परिपत्र के अनु. 21 में निर्धारित मानकों के अनुसार वापस किया जा सकता है।

17.2.2.4 खातों को मानक श्रेणी में अपग्रेड किए जाने पर पुनर्चित आस्तियों पर धारित प्रावधान वापस किए जा सकते हैं।

17.2.2.5 उपर्युक्त के अनुसार आस्ति गुणवत्ता में उन्नयन लेकिन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा किसी भी उधारदाता की किसी भी ऋण सुविधा में चूक होने पर) ऐसे उधारदाता के लिए भी, जहां उधारकर्ता विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं है, (उस चूक के अनुसार नया आरपी कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता होगी। उधारदाता ऐसे खातों के लिए समीक्षा अवधि के अंत में 15% का अतिरिक्त प्रावधान करेंगे। यह अतिरिक्त प्रावधान, अन्य अतिरिक्त प्रावधानों के साथ, इस मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 11.5 में निर्धारित मानकों के अनुसार वापस किया जा सकता है।

"विनिर्दिष्ट अवधि का अर्थ है आरपी¹⁹ के कार्यान्वयन की तिथि से लेकर आरपी के अनुसार बकाया मूलधन के 20% और पुनर्चना के भाग के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, की चुकौती तक।"

18. प्रावधानीकरण मानदंड²⁰

- 18.1 संशोधित ढांचे के अंतर्गत पुनर्चित खातों पर अग्रिमों के संबंध में इस मास्टर परिपत्र के भाग ए में निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणी के अनुसार प्रावधानीकरण लागू होगा।
- 18.2 जिन मामलों में उधारदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया समापक आरपी, समाधान व्यवसायी द्वारा न्यायनिर्णय प्राधिकारी) आईबीसी की धारा 30 (6) के संदर्भ में (के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है, उनके खातों के संबंध में उधारदाता आरपी प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए या आईबीसी की धारा 31(1) के अनुसार न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तिथि से 90 दिनों तक, जो भी पहले हो, आरपी प्रस्तुत करने की तिथि पर धारित प्रावधानों को फ्रीज़ रख सकते हैं।
- 18.3 प्रावधान की मात्रा को फ्रीज़ करने की उक्त सुविधा केवल उन्हीं मामलों में उपलब्ध होगी जहां उधारदाताओं द्वारा न्यायनिर्णय प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए योजना प्रस्तुत करने की तिथि पर उधारदाता द्वारा धारित प्रावधान, अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन पर सामान्यतः अपेक्षित प्रावधान से अधिक है, और इसमें उधारदाताओं की समिति/न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना, जैसा भी मामला हो, के पहलुओं को और मौजूदा विवेकपूर्ण मानकों को ध्यान में रखना होगा। तथापि, उधारदाता इस स्तर पर न्यायनिर्णय प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने की तिथि पर धारित अतिरिक्त प्रावधानों की

¹⁹ आईबीसी के तहत पुनर्चित खातों के लिए विनिर्दिष्ट अवधि न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अनुसार समाधान योजना के कार्यान्वयन की तिथि से शुरू हुई मानी जाएगी।

²⁰ समयसीमा के भीतर आरपी के विलंबित कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रावधान इस मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 11.1 – 11.4 के अनुसार होंगे।

वापसी नहीं करेंगे। जिन मामलों में किया गया प्रावधान अपेक्षित प्रावधान से कम है, उधारदाता कमी की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान करेंगे। उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद, ये प्रावधान इस मास्टर परिपत्र के भाग ए में दिए गए मानदंडों के अनुसार होगा। यदि न्यायनिर्णय प्राधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत समाधान योजना को अस्वीकृत कर देते हैं तो प्रावधानों को प्रीज़ करने की सुविधा भी तुरंत समाप्त हो जाएगी। ऐसे उधारकर्ता के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा अधिशासित होगा।

18.4 [दिनांक 01 जनवरी, 2019 के परिपत्र बैविवि.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19](#) और [11 फरवरी, 2020 के परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20](#) के अंतर्गत पुनर्चित एमएसएमई खातों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएँ इनमें निर्धारित किए अनुसार होंगे।

19. अतिरिक्त वित्त

19.1 आरपी (आईबीसी के अधीन निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी समाधान योजना सहित) के अधीन अनुमोदित किसी अतिरिक्त वित्त को विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अनुमोदित आरपी के अंतर्गत मानक आस्ति माना जाएगा, बशर्ते कि खाता संतोषजनक कार्य निष्पादन करता है (जैसा कि फुटनोट 16 में परिभाषित किया गया है)। यदि पुनर्चित खाता विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्य-निष्पादन नहीं करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में उन्नयन के लिए पात्र नहीं होता है, तो अतिरिक्त वित्त को भी पुनर्चित वित्त के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा।

19.2 इसी प्रकार, आईबीसी के तहत उधारदाताओं द्वारा दिवाला प्रक्रिया के अधीन चल रहे उधारकर्ता को दिया गया अंतरिम वित्त आईबीसी की धारा 5(15) में परिभाषित किए गए अनुसार, आईबीसी में परिभाषित किए गए दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान 'मानक आस्ति' के रूप में माना जा सकता है। इस अवधि के दौरान, अंतरिम वित्त के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान इस मास्टर परिपत्र के भाग ए में दिये गए मानदंडों द्वारा अधिशासित होंगे। इसके बाद, न्यायनिर्णय प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर, इस तरह के अंतरिम वित्त का ट्रीटमेंट, उपर्युक्त अनु. 13 में अतिरिक्त वित्तपोषण पर लागू मानकों के अनुसार होगा।

20. आय निर्धारण मानदंड

20.1 मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के संबंध में ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाए, तथा अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के संबंध में आय निर्धारण नकद आधार पर किया जाए।

20.2 ऐसे खातों में अतिरिक्त वित्त के मामले में, जहां पुनर्चना-पूर्व सुविधाओं को अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जब पुनर्चना स्वामित्व में परिवर्तन के साथ की गई हो को छोड़ कर, ब्याज आय का निर्धारण केवल नकद आधार पर किया जाएगा।

21. मूलधन का ऋण/इक्विटी में तथा अदत्त ब्याज का निधि आधारित ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल), ऋण या इक्विटी लिखतों में परिवर्तन

21.1 पुनर्रचना की प्रक्रिया में उधारकर्ता द्वारा जारी नई प्रतिभूतियों का निर्माण हो सकता है, जिसे उधारदाताओं द्वारा पुनर्रचना पूर्व एक्सपोजर के भाग के बदले में धारित किया जाएगा। मूलधन/अदत्त ब्याज, जैसा भी मामला हो, के भाग को परिवर्तित करके बनाए गए एफआईटीएल/ऋण/इक्विटी लिखतों को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा, जिसमें पुनर्रचित अग्रिमों को वर्गीकृत किया गया है।

21.2 ऐसी लिखतों पर लागू प्रावधान निम्नलिखित में से उच्चतर वाले होंगे:

(क) उस आस्ति वर्गीकरण श्रेणी पर लागू प्रावधानीकरण जिसमें ऐसी लिखतें रखी जाती हैं; या

(ख) ऐसी लिखतों के उचित मूल्य पर लागू प्रावधानीकरण जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है।

21.3 आरपी के हिस्से के रूप में उधारदाताओं द्वारा अर्जित ऋण/अर्ध-ऋण/इक्विटी लिखत²¹ निम्नानुसार मूल्यांकित किए जाएंगे:

(क) [1 जुलाई 2015 को बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड विषय पर जारी मास्टर परिपत्र](#) (समय-समय पर संशोधित) के अनु. 3.7.1 में संकलित निदेशों के अनुसार डिबेंचर/बॉन्ड के मूल्य को आंका जाएगा।

(ख) आरपी के हिस्से के रूप में शून्य कूपन बॉन्ड (ज़ेडसीबी)/निम्न कूपन बांड (एलसीबी) में ऋण का अंतरण [1 जुलाई 2015 को बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड विषय पर जारी मास्टर परिपत्र](#) (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनु. 5.4 में संकलित निदेशों के अनुसार किया जाएगा। इस तरह के ज़ेडसीबी/एलसीबी को उपरोक्त मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 3.7.3 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन है:

i. जहां उधारकर्ता उक्त मास्टर परिपत्र के तहत आवश्यक ऋण शोधन निधि का निर्माण करने में विफल रहता है, ऐसे उधारकर्ता के ज़ेडसीबी/एलसीबी को समेकित रूप से 1 रुपए पर मूल्यांकित किया जाएगा।

ii. पूर्व-निर्दिष्ट टर्मिनल मूल्य रहित लिखतों का समेकित मूल्य 1 रुपया होगा।

(ग) इक्विटी लिखत, जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को कोट करने पर की हुई होने पर बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा, अन्यथा नीचे बताए गए मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके न्यूनतम मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए:

i. बही मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि कोई हो तो उस पर विचार किए बिना) को कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र से निर्धारित किया जाना है। जिस तारीख के अनुसार नवीनतम तुलनपत्र तैयार किया जाता है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से पहले नहीं होना

²¹ इन लिखतों पर, जब तक कि इस परिपत्र में निहित अनुदेशों से असंगत नहीं है, [दिनांक 1 जुलाई, 2015 को वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड विषय पर जारी मास्टर परिपत्र](#) (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित सभी अनुदेशों लागू होंगे।

चाहिए। यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है, तो शेयर का समेकित रूप से प्रति कंपनी एक रुपए पर मूल्यांकन करना चाहिए।

- ii. बढ़ागत नक़द प्रवाह विधि जहां बढ़ा कारक पुनर्रचना के बाद अवशिष्ट ऋण पर उधारकर्ता से ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर है, साथ ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार इक्विटी के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करने के लिए एक जोखिम प्रीमियम निर्धारित किया जाना है। जोखिम प्रीमियम 3 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा के अधीन होगा और समग्र बढ़ा कारक 14 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा के अधीन होगा। इसके अलावा, केवल परियोजना के उपयोगी आर्थिक जीवन के 85 प्रतिशत के भीतर होने वाले नकदी प्रवाह (वर्तमान के साथ-साथ तत्काल संभावित (छह महीने से अधिक नहीं) के संचालन के स्तर से उपलब्ध नकदी प्रवाह की गणना की जाएगी।

घ) इक्विटी लिखतों, जहां एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाएगा, यदि उद्धृत किया गया है, या अन्यथा, सामूहिक रूप से 1 रुपये पर मूल्यांकित किया जाएगा।

ड) बैंकों द्वारा [1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड](#) के अनु. 3.7.4 में संकलित अनुदेशों के अनुसार वरीयता शेयरों का मूल्यांकन बढ़ागत नक़द प्रवाह (डीसीएफ) के आधार पर (यथा समय-समय पर संशोधित), निम्नलिखित संशोधनों के अधीन किया जाएगा:

- i. छूट की दर पुनर्रचना के बाद शेष ऋण पर उधारकर्ता से भारित औसत वास्तविक ब्याज दर और 1.5 प्रतिशत के मार्क-अप के आधार पर होगी।
- ii. जहां वरीयता लाभांश/कूपन बकाया हैं, अर्जित लाभांश/ कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए और डीसीएफ के आधार पर उपर्युक्त निर्धारित मूल्य को एक वर्ष के लिए बकाया होने पर कम से कम 15 प्रतिशत, बकाया दो साल के लिए है तो 25 प्रतिशत, और इसी तरह और आगे (यानी, 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ) बढ़ाकृत किया जाना चाहिए।

21.4. व्यापक सिद्धांत यह होना चाहिए कि दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान से उत्पन्न होने वाले लिखतों का मूल्यांकन नकदी प्रवाह के परंपरागत मूल्यांकन और उधारकर्ताओं के दबावग्रस्त नकदी प्रवाह को दर्शाने के लिए उपयुक्त छूट दरों पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखापरीक्षकों को विशेष रूप से इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसे लिखतों का मूल्यांकन ऐसे लिखतों से जुड़े नुकसान के जोखिम को दर्शाता है।

21.5. यदि उधारदाताओं ने आरपी के एक भाग के रूप में ऋण के रूपांतरण पर गैर-उद्धृत लिखतों का अधिग्रहण किया है, और यदि आरपी को लागू नहीं माना जाता है, तो ऐसे गैर-

उद्धृत लिखतों को उस समय, और जब तक आरपी को लागू नहीं माना जाता है तब तक सामूहिक रूप से रु. 1 के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।

- 21.6. एफआईटीएल/ऋण या इक्विटी लिखत द्वारा दर्शाई गई अप्राप्त आय को "विविध देयताएं खाता (ब्याज पूंजीकरण)" के रूप में चिह्नित खाते में तदनु रूप क्रेडिट होना चाहिए।
- 21.7. एफआईटीएल/ऋण या इक्विटी लिखत द्वारा दर्शाई गई अप्राप्त आय को केवल लाभ और हानि खाते में निम्नानुसार पहचाना जा सकता है:
- एफआईटीएल/ऋण लिखत: केवल बिक्री या मोचन पर, जैसा भी मामला हो;
 - गैर-उद्धृत इक्विटी/उद्धृत इक्विटी (जहां एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है): केवल बिक्री पर;
 - उद्धृत इक्विटी (जहां मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है): उन्नयन की तारीख को इक्विटी का बाजार मूल्य, ऐसी इक्विटी में परिवर्तित अप्राप्त आय की राशि से अधिक नहीं। इक्विटी के मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों को बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निपटाया जाएगा।

22. स्वामित्व में परिवर्तन

22.1. उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, स्वामित्व में परिवर्तन लागू होने के बाद, या तो आईबीसी के तहत या इस ढांचे के तहत संबंधित उधार लेने वाली संस्थाओं की क्रेडिट सुविधाओं को 'मानक' के रूप में जारी/अपग्रेड किया जा सकता है। यदि स्वामित्व में परिवर्तन इस ढांचे के तहत लागू किया जाता है, तो 'मानक' के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

क) उधारदाता इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरतेंगे और स्पष्ट रूप से स्थापित करेंगे कि अधिग्रहणकर्ता आईबीसी की धारा 29क के अनुसार अयोग्य व्यक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त, 'नया प्रवर्तक' मौजूदा प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का कोई व्यक्ति/इकाई/सहायक/सहयोगी आदि (घरेलू और विदेशी) नहीं होना चाहिए। उधारदाताओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि अधिग्रहणकर्ता मौजूदा प्रवर्तक समूह से संबंधित नहीं है (जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 में परिभाषित किया गया है)।

ख) नए प्रवर्तक को चुकता इक्विटी पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत और साथ ही उधारकर्ता इकाई के वोटिंग अधिकार प्राप्त होंगे और वह उधारकर्ता इकाई का सबसे बड़ा शेयरधारक होगा।

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 में 'नियंत्रण' की परिभाषा के अनुसार नया प्रवर्तक उधारकर्ता इकाई के 'नियंत्रण' में होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी नियमों/किसी भी अन्य लागू नियमों/लेखा मानकों के रूप में जैसा भी मामला हो।

घ) इस मास्टर परिपत्र के भाग ख1 में निर्धारित आरपी के कार्यान्वयन की शर्तों का अनुपालन किया जाता है।

22.2 स्वामित्व में परिवर्तन पर, उधार लेने वाली संस्था के सभी बकाया ऋणों/ ऋण सुविधाओं को निगरानी अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन (जैसा कि फुटनोट 16 में परिभाषित किया गया है) प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। यदि खाता निगरानी अवधि के दौरान किसी भी समय संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो यह उपरोक्त अनु. 9.1 के अनुसार एक नई समीक्षा अवधि को ट्रिगर करेगा।

22.3 उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन की तारीख को बैंक द्वारा उक्त खाते के प्रति धारित प्रावधानों (अतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर) की मात्रा को निगरानी अवधि की समाप्ति के बाद ही वापस किया जा सकता है, बशर्ते कि उस दौरान प्रदर्शन संतोषजनक हो।

23. पुनर्चना के रूप में बिक्री और लीज बैक लेनदेन के वर्गीकरण पर सिद्धांत

23.1 एक उधारकर्ता की संपत्ति की बिक्री और लीजबैक लेनदेन या समान प्रकृति के अन्य लेनदेन को आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से पुनर्चना की घटना के रूप में माना जाएगा और साथ ही विक्रेता के अवशिष्ट ऋण के संबंध में उधारदाताओं की बहियों में प्रावधान किया जाएगा बशर्ते खरीदार के ऋण के रूप में यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

क) आस्ति का विक्रेता वित्तीय कठिनाई में है;

ख) विशिष्ट आस्ति से खरीदार के राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी 50 प्रतिशत से अधिक, विक्रेता से नकदी प्रवाह पर निर्भर है; तथा

ग) विशिष्ट आस्ति की खरीद के लिए खरीदार द्वारा लिए गए ऋण का 25 प्रतिशत या अधिक उधारदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिनके पास पहले से ही विक्रेता के लिए ऋण जोखिम है।

24. उधारकर्ताओं को एक्सपोजर के पुनर्वित्त से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड

यदि उसी/अन्य मुद्रा में मूल्यवर्ग के ऋणों के पुनर्भुगतान/पुनर्वित्त के प्रयोजन के लिए उधार/निर्यात अग्रिम (किसी भी मुद्रा में मूल्यवर्ग, जहां भी अनुमति हो) प्राप्त किए जाते हैं:

क) उधारदाताओं से जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा हैं (जहां अनुमति है); या

ख) गारंटी/स्टैंडबाय साख पत्र/ लेटर ऑफ कंफर्ट आदि के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली से समर्थन (जहां अनुमति है) के साथ, ऐसे मामलों को 'पुनर्गठन' के रूप में माना जाएगा यदि संबंधित उधारकर्ता वित्तीय कठिनाई में है।

25. अंतरण वित्तीयन

अंतरण वित्तीयन लेन-देन जिसमें पूर्व प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, 29 फरवरी 2000 को "आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले और पूंजी पर्याप्तता मानक- अंतरण वित्तीयन " पर जारी परिपत्र सं- डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.144/21.04.048-2000 द्वारा अभिशासित होंगे।

26. विनियामक छूट

26.1 आरबीआई विनियमों से छूट

26.1.1 ऋण के रूपांतरण के माध्यम से गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को आरबीआई द्वारा निर्धारित गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर प्रतिबंध और विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है।

26.1.2 पुनर्रचना प्रक्रिया के दौरान ऋण के इक्विटी में परिवर्तन के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार एक्सपोजर, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और इंटर-ग्रुप एक्सपोजर पर विनियामकीय उच्चतम सीमा/प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। हालांकि, इन्हें आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा (आस्ति गुणवत्ता पर नियमित डीएसबी विवरणी के साथ हर महीने डीओएस, केका को रिपोर्ट करना) और बैंकों द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणों में खातों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के प्रावधानों का पालन करना होगा।

26.2 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों से छूट

26.2.1 सेबी ने कुछ शर्तों के तहत, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (आईसीडीआर) विनियम, 2018 की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की है, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियमों के अनुसार किए गए पुनर्गठन के लिए है।

26.2.2 आईसीडीआर विनियम, 2018 के उप-विनियम 158 (6) (क) में निहित आवश्यकताओं के संदर्भ में, इक्विटी का निर्गम मूल्य नीचे (क) या (ख) से कम होगा:

क) 'संदर्भ तिथि' से पहले के छब्बीस सप्ताह के दौरान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत संबंधित इक्विटी शेयरों की मात्रा के भारित औसत मूल्य के साप्ताहिक उच्च और निम्न का औसत या साप्ताहिक उच्च और निम्न मात्रा का औसत 'संदर्भ तिथि' से पहले के दो सप्ताह के दौरान किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत संबंधित इक्विटी शेयरों की भारित औसत कीमतें, जो भी कम हो; तथा

ख) बही मूल्य: प्रति शेयर बही मूल्य की गणना नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र ('पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व' पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) से की जाएगी, जो पहले के पुनर्गठन के बाद नकदी प्रवाह और वित्तीय पोस्ट के लिए समायोजित है, यदि कोई हो। जिस तिथि को नवीनतम तुलन पत्र तैयार किया गया है, वह पुनर्रचना की तिथि से 18 माह से अधिक पूर्व नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम

लेखापरीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो शेयरों का सामूहिक रूप से मूल्य 1 रुपये प्रति कंपनी होना चाहिए।

26.2.3 ऋण को इक्विटी में बदलने के मामले में, 'संदर्भ तिथि' वह तारीख होगी जिस दिन बैंक पुनर्चना योजना को मंजूरी देता है। परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इक्विटी में परिवर्तन के मामले में, 'संदर्भ तिथि' वह तारीख होगी जिस दिन बैंक परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को इक्विटी में बदलने की मंजूरी देता है।

27. धोखाधड़ी/ इरादतन चूककर्ताओं का पुनर्गठन

जिन उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी/कदाचार/ इरादतन चूक की है, वे पुनर्चना के लिए अपात्र रहेंगे। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां मौजूदा प्रवर्तकों को नए प्रवर्तकों²² द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और उधारकर्ता कंपनी ऐसे पूर्ववर्ती प्रवर्तकों /प्रबंधन से पूरी तरह से अलग हो जाती है, उधारदाता आपराधिक कार्रवाई की निरंतरता के पूर्वाग्रह के बिना, पूर्व प्रवर्तकों / प्रबंधन के खिलाफ उनकी व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे खातों के पुनर्गठन पर विचार कर सकते हैं।

भाग ग - विविध

28. इरादतन चूककर्ता और गैर-सहयोगी उधारकर्ता

इरादतन चूककर्ताओं के संव्यवहार के संबंध में निदेश समय-समय पर अद्यतन 'इरादतन चूककर्ता' पर दिनांक 1 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र डीबीआर.सं.सीआईडी.बीसी.57/20.16.003/2014-15 (7 जनवरी 2015 तक अद्यतन) में निहित हैं। बैंकों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। इन अनुदेशों के अलावा और कंपनियों में बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना सुनिश्चित करने और स्वतंत्र/पेशेवर निदेशकों, प्रवर्तकों, लेखा परीक्षकों आदि की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित विवेकपूर्ण उपाय लागू होंगे:

क) निदेशकों (दबाव के समय बोर्ड पर पदस्थ सरकारी/वित्तीय संस्थानों के नामित निदेशकों के अलावा) वाली कंपनियों को बैंकों के मौजूदा ऋण/एक्सपोजर के संबंध में प्रावधान, जिनके नाम सूची में एक से अधिक बार आते हैं, इरादतन चूककर्ताओं की संख्या, मानक खातों के मामलों में 5% होगी; यदि ऐसे खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह निम्नानुसार त्वरित प्रावधान को आकर्षित करेगा:

आस्ति वर्गीकरण	एनपीए अवधि	वर्तमान प्रावधान (%)	संशोधित त्वरित प्रावधान (%)
अवमानक (प्रतिभूत)	6 माह तक	15	कोई परिवर्तन नहीं
	6 माह से 1 वर्ष	15	25
अवमानक	6 माह तक	25 (बुनियादी संरचना)	25

²² नए प्रवर्तकों को ऊपर अनु. 22.1 (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा।

(प्रतिभूत-प्रारम्भ से)		ऋण के अलावा)	
		20 (बुनियादी संरचना ऋण)	
6 माह से 1 वर्ष		25 (बुनियादी संरचना ऋण के अलावा)	40
		20 (बुनियादी संरचना ऋण)	
संदिग्ध I	दूसरा वर्ष	25 (प्रतिभूत भाग)	40 (प्रतिभूत भाग)
		100 (गैर-प्रतिभूत भाग)	100 (गैर- प्रतिभूत भाग)
संदिग्ध II	तीसरा और चौथा वर्ष	40 (प्रतिभूत भाग)	100 (प्रतिभूत और गैर- प्रतिभूत भाग दोनों के लिए)
		100 (गैर-प्रतिभूत भाग)	
संदिग्ध III	5 वें वर्ष के बाद	100	100

ख) यह एक विवेकपूर्ण उपाय है क्योंकि ऐसे उधारकर्ताओं को एक्सपोजर पर संभावित हानि अधिक होने की संभावना है। यह दोहराया जाता है कि [1 जुलाई 2015 के इरादतन चूककर्ताओं पर मास्टर परिपत्र](#) के अनु. 2.5 (क) के अनुसार, सूचीबद्ध इरादतन चूककर्ताओं को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

ग) उधारकर्ताओं/ चूककर्ताओं को उनके वास्तविक समाधान/वसूली के प्रयासों में उधारदाताओं के साथ अनुचित और असहयोगी होने से हतोत्साहित करने की दृष्टि से, बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उन्हें उचित नोटिस देकर अ-सहयोगी उधारकर्ताओं²³ के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। बैंकों को ऐसे उधारकर्ताओं के वर्गीकरण की रिपोर्ट सीआरआईएलसी को देनी होगी। इस संबंध में असहयोगी उधारकर्ताओं पर [22 दिसंबर 2014 के परिपत्र बैंकवि.सं.सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15](#) के माध्यम से विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

घ) इसके अलावा, यदि किसी विशेष इकाई को असहयोगी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे उधारकर्ता के लिए कोई नया एक्सपोजर, निहितार्थ से, उच्च प्रावधान की आवश्यकता वाले अधिक जोखिम में होगा। अतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसे उधारकर्ताओं को स्वीकृत नए ऋणों के संबंध में और साथ ही किसी अन्य कंपनी को स्वीकृत नए ऋणों के संबंध में, घटिया आस्तियों पर लागू उच्च

²³ अ-सहयोगी उधारकर्ता वह है जो भुगतान करने की क्षमता रखते हुए बकाया राशि के समय पर पुनर्भुगतान में चूक करके, मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रदान न करके अपने बकाया की वसूली के लिए उधारदाताओं के प्रयासों को विफल करके, वित्तपोषित आस्तियों तक पहुंच से इनकार करके अपने ऋणदाता के साथ संपार्श्विक प्रतिभूतियों, प्रतिभूतियों की बिक्री में बाधा, आदि पैदा करके रचनात्मक रूप से सहयोग नहीं करता है। वास्तव में, असहयोगी उधारकर्ता एक चूककर्ता होता है जो जानबूझकर ऋणदाताओं के अपने बकाया की वसूली के वैध प्रयासों को बाधित करता है।

प्रावधान करने की आवश्यकता होगी, जिसके निदेशक बोर्ड में कोई भी पूर्णकालिक निदेशक/प्रवर्तक हैं, और किसी गैर-सहकारी उधार लेने वाली कंपनी या कोई फर्म जिसमें ऐसा असहयोगी उधारकर्ता मामलों के प्रबंधन का प्रभारी है। हालांकि, आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण के उद्देश्य से, नए ऋणों को मानक आस्ति के रूप में माना जाएगा। यह एक विवेकपूर्ण उपाय है क्योंकि ऐसे असहयोगी उधारकर्ताओं को एक्सपोजर पर एक्सपोजर पर संभावित हानि अधिक होने की संभावना है।

29. सूचना का प्रसार

29.1 वर्तमान में, बैंकों द्वारा इरादतन चूककर्ताओं (₹25 लाख और अधिक) के वाद दायर खातों और गैर-वाद दायर खातों की सूची क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को प्रस्तुत की जाती है, जिनके कि वे सदस्य हैं और जो यथानुसार प्राप्त होने पर उसे अपनी संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित करते हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान प्रणाली को इरादतन चूककर्ताओं के वाद दायर खातों और गैर-वाद दायर खातों के नाम और सीआईसी द्वारा बैंकों को इसकी उपलब्धता को यथासंभव उपलब्ध करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इरादतन चूककर्ताओं पर डेटा को सीआईसी को यथाशीघ्र लेकिन रिपोर्टिंग तिथि से एक महीने के बाद नहीं, अग्रेषित करें और उन्हें दिनांक 1 जुलाई 2015 को समय-मय पर अद्यतन 'इरादतन चूककर्ता' पर हमारे मास्टर परिपत्र डीबीआर.सं.सीआईडी.बीसी.57/20.16.003/2014-15 में वर्णित प्ररूप के अनुसार विस्तृत जानकारी का उपयोग/प्रस्तुत करना चाहिए।

29.2 ऊपर उल्लिखित इरादतन चूककर्ता पर हमारे मास्टर परिपत्र के अनुसार, यदि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं की ओर से खातों के किसी भी मिथ्याकरण को देखा जाता है, और यदि यह पाया जाता है कि लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा करने में लापरवाही या कमी कर रहे थे, बैंकों को चाहिए कि वे उधारकर्ताओं के लेखापरीक्षकों के विरुद्ध भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) में औपचारिक शिकायत दर्ज करें ताकि आईसीएआई लेखापरीक्षकों की जांच कर सके और उनकी जवाबदेही तय कर सके। आरबीआई सख्त अनुपालन के लिए इन अनुदेशों को दोहराता है। आईसीएआई द्वारा लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई, शिकायतों को रिकॉर्ड के लिए आरबीआई (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) और आईबीए को भी भेजा जा सकता है। आईबीए उन सीए फर्मों के नाम प्रसारित करेगा जिनके खिलाफ सभी बैंकों के बीच कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें कोई भी काम सौंपने से पहले इस पहलू पर विचार करना चाहिए। आरबीआई अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए)/ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के साथ भी ऐसी जानकारी साझा करेगा।

29.3 इसके अलावा, बैंक उन अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, जो लापरवाही या मिलीभगत से, आस्ति या मूल्यांकनों के संबंध में कानूनी स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए गलत प्रमाणित करते हैं, जो प्रतिभूत मूल्य से अधिक बताते हैं, और यदि एक महीने के भीतर उनसे

कोई जवाब/संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो वे आईबीए को उनके नाम की रिपोर्ट कर सकते हैं। आईबीए भविष्य में उनकी सेवाओं का लाभ उठाने से पहले अपने सदस्यों के बीच ऐसे अधिवक्ताओं/मूल्यांकनकर्ताओं के नामों को विचारार्थ प्रसारित कर सकता है। आईबीए इस उद्देश्य के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाएगा।

30. प्रवर्तकों के योगदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण

30.1 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' पर हमारे 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैपविवि.सं.डीआईआर.बीसी.16/13.03.00/2014-15 में समेकित प्रवर्तकों के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण पर मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तकों का योगदान अपने स्वयं के संसाधनों से आना चाहिए और बैंकों को आम तौर पर अन्य कंपनियों के शेयरों को लेने के लिए अग्रिम नहीं देना चाहिए।

30.2 यह निर्णय लिया गया है कि बैंक दबावग्रस्त कंपनियों के अधिग्रहण के लिए स्थापित 'विशिष्ट' संस्थाओं को उपर्युक्त मास्टर परिपत्र और अन्य विनियामकीय और सांविधिक जोखिम सीमाओं में निहित शेयरों/डिबेंचरों/बांडों के बदले अग्रिमों के संबंध में लागू सामान्य दिशानिर्देशों के अधीन वित्त प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, उधारदाताओं को इस तरह के वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों का आकलन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्थाएं पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं, और ऐसी इकाई के लिए ऋण इक्विटी अनुपात 3: 1 से अधिक नहीं है।

30.3 इस संबंध में, एक 'विशिष्ट' संस्था एक निगमित निकाय होगी जिसे विशेष रूप से दबावग्रस्त कंपनियों को लेने और बदलने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा और व्यक्तियों या/और संस्थागत प्रवर्तकों (सरकार सहित) द्वारा प्रचारित किया जाएगा, जो 'दबावग्रस्त कंपनियों' को पुनर्जीवित करने में पेशेवर विशेषज्ञता रखते हैं और उस उद्योग/श्रेणी में निवेश करने के लिए पात्र हैं जिससे लक्षित आस्ति संबंधित है।

31. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

31.1 बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 'बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली' पर 7 अक्टूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैपविवि.सं.बीपी(एससी.बीसी.98/21.04.103/99) और दिनांक 12 अक्टूबर 2002 को 'क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम के प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट्स' पर परिपत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी.520/21.04.103/2002-03 में निहित ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

31.2 यह दोहराया जाता है कि उधारदाताओं को सभी मामलों में अपना स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ ऋण मूल्यांकन करना चाहिए और बाहरी सलाहकारों, विशेष रूप से उधार लेने वाली संस्था के आंतरिक सलाहकारों द्वारा तैयार की गई क्रेडिट मूल्यांकन रिपोर्ट पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

31.3 बैंकों/उधारदाताओं को विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संवेदनशीलता परीक्षण/परिदृश्य विश्लेषण करना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि शामिल होनी चाहिए। यह डीसीसीओ/पुनर्गठन के आस्थगन पर निर्णय लेने के समय परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करने में सहायता करेगा।

31.4 उधारदाताओं को प्रवर्तकों /शेयरधारकों द्वारा लाए गए इक्विटी पूंजी के स्रोत और गुणवत्ता का पता लगाना चाहिए। विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बहुसंख्य लीवरेजिंग एक चिंता का विषय है क्योंकि यह ऋण/इक्विटी अनुपात जैसे वित्तीय अनुपातों को प्रभावी ढंग से छुपाता है, जिससे उधारकर्ताओं का प्रतिकूल चयन होता है। इसलिए, उधारदाताओं को क्रेडिट मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल कंपनी का ऋण सहायक / एसपीवी की इक्विटी पूंजी के रूप में नहीं डाला गया है।

31.5 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 266 क से 266 छ को शामिल करते हुए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की अवधारणा पेश की थी। इसके अलावा, जुलाई के इरादतन चूककर्ताओं पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के हमारे मास्टर परिपत्र के अनु. 5.4 के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदेशकों की सही पहचान की गई है और किसी भी मामले में, ऐसे व्यक्ति जिनके नाम इरादतन चूककर्ताओं की सूची में आने वाले निदेशकों के नाम के समान प्रतीत होते हैं, ऐसे आधारों पर गलत तरीके से ऋण सुविधाओं से वंचित नहीं हैं। बैंक/वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक/क्रेडिट सूचना कंपनियों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) को एक फ़्रील्ड के रूप में शामिल करने हेतु सूचित किया गया है।

31.6 यह दोहराया जाता है कि ऋण मूल्यांकन करते समय, बैंकों को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या कंपनियों के किसी निदेशक का नाम डीआईएन/पैन आदि के संदर्भ में चूककर्ताओं/इरादतन चूककर्ताओं की सूची में है। समान नामों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह के मामले में, बैंकों को उधार लेने वाली कंपनी से घोषणा मांगने के बजाय निदेशकों की पहचान की पुष्टि के लिए स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करना चाहिए।

31.7 इरादतन चूककर्ताओं पर मास्टर परिपत्र के अनु. 2.7 में कहा गया है कि, "निधी के पूर्ण उपयोग की निगरानी की दृष्टि से, यदि उधारदाता उधारकर्ता द्वारा निधियों के डायवर्जन/साइफ़ोनिंग के संबंध में उधारकर्ताओं के लेखापरीक्षकों से एक विशिष्ट प्रमाणीकरण चाहते हैं, तो उधारदाता इस

प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षकों को एक अलग अधिदेश देना चाहिए। लेखा परीक्षकों द्वारा इस तरह के प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होगी कि ऋण समझौतों में उपयुक्त अनुबंधों को शामिल किया गया है ताकि उधारकर्ताओं / लेखा परीक्षकों को उधारदाताओं द्वारा इस तरह के अधिदेश को प्रदान किया जा सके।

31.8 उपरोक्त के अलावा, बैंकों को सूचित किया जाता है कि निधियों के उचित पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने और उधारकर्ताओं द्वारा निधियों के डायवर्जन/साइफनिंग को रोकने की दृष्टि से, उधारकर्ता के लेखा परीक्षकों द्वारा उधारदाता को दिए गए प्रमाणीकरण पर भरोसा किए बिना ऐसे विशिष्ट प्रमाणन उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। हालाँकि, यह इस मामले में बैंक के बुनियादी न्यूनतम स्वयं के उचित सावधानी प्रक्रिया को स्थानापन्न नहीं कर सकता है।

32. सीईआरएसएआई के साथ लेनदेन का पंजीकरण

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 जिसे कि समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, के तहत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की स्थापना पर [21 अप्रैल 2011 के परिपत्र बैपविवि.एलईजी.सं.बीसी.86/09.08.011/2010-11](#) के अनुसार, बैंकों को सीईआरएसएआई पोर्टल पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण से संबंधित लेनदेन को निरंतर आधार पर पंजीकृत करना आवश्यक है। बैंकों को किसी भी ऋण या अग्रिम को प्रतिभूतित करने के लिए सीईआरएसएआई पोर्टल पर निम्नलिखित प्रकार के प्रतिभूति ब्याज को निरंतर आधार पर दर्ज करने की आवश्यकता है:

- क) स्वामित्व विलेख जमा करके बंधक में प्रतिभूति ब्याज के निर्माण, संशोधन, या संतुष्टि का विवरण;
- ख) स्वामित्व विलेख जमा करके बंधक के अलावा बंधक में प्रतिभूति ब्याज के निर्माण, संशोधन, या संतुष्टि का विवरण;
- ग) संयंत्र और मशीनरी, स्टॉक, ऋण सहित बही ऋण या प्राप्य, चाहे मौजूदा या भविष्य के दृष्टिबंधक में प्रतिभूति ब्याज के निर्माण, संशोधन, या संतुष्टि का विवरण।
- घ) अमूर्त आस्ति में प्रतिभूति ब्याज के निर्माण, संशोधन, या संतुष्टि का विवरण, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, मताधिकार या इसी तरह की प्रकृति के किसी अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार के बारे में जानना।
- ड.) किसी भी 'निर्माणाधीन' आवासीय या वाणिज्यिक या उसके एक हिस्से में बंधक के अलावा किसी समझौते या साधन द्वारा प्रतिभूति ब्याज के निर्माण, संशोधन, या संतुष्टि का विवरण।

33. बोर्ड की निगरानी

33.1 बैंकों के निदेशक बोर्ड को अपनी बहियों में गिरती आस्ति गुणवत्ता को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए और ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इन दिशानिर्देशों में परिकल्पित आस्ति गुणवत्ता और समाधान में समस्याओं की शीघ्र पहचान के लिए उधारदाताओं को सक्रिय होने और सीआरआईएलसी का उपयोग करने की आवश्यकता है।

33.2 बैंकों के बोर्ड को उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ताओं या/और असहयोगी उधारकर्ताओं के रूप में उचित और समय पर वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों के बोर्ड को समय-समय पर इस तरह वर्गीकृत खातों की आवाधिक आधार पर यथा छमाही आधार पर समीक्षा करनी चाहिए।

भाग- घ- अनुबंध

अनुबंध - 1

सकल अग्रिम, सकल एनपीए, निवल अग्रिम और निवल एनपीए का विवरण

भाग -क

		(रु. करोड़ में दो दशमलव तक)
विवरण		राशि
1.	मानक अग्रिम	
2.	सकल एनपीए *	
3.	सकल अग्रिम ** (1+2)	
4.	सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए (2/3) (% में)	
5.	कटौतियाँ	
(i)	आस्ति वर्गीकरण के अनुसार एनपीए खातों के मामले में धारित प्रावधान (निर्धारित दरों से अधिक एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान सहित)।	
(ii)	डीआईसीजीसी / ईसीजीसी से प्राप्त दावे और लंबित समायोजन	
(iii)	आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ और सस्पेंस खाते या किसी अन्य समान खाते में रखा गया	
(iv)	एनपीएफ़ खातों के साथ संबंध में विविध खाते (ब्याज पूंजीकरण - पुनर्चित खाता) में शेष राशि	
(v)	अस्थायी प्रावधान ***	
(vi)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में कमी के एवज में प्रावधान	
(vii)	मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में कमी के एवज में प्रावधान	
6.	निवल अग्रिम (3-5)	
7.	निवल एनपीए {2-5(i + ii + iii + iv + v + vi)}	
8.	निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए (7/6) (% में)	
*	एनपीए का मूल बकाया और निधिक ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) जहां एनपीए खातों के संबंध में संबंधित कॉन्ट्रा क्रेडिट को विविध खाते (ब्याज पूंजीकरण - पुनर्चित खाते) में रखा गया है।	

**	इस विवरण के प्रयोजन के लिए, 'सकल अग्रिम' का अर्थ उन सभी बकाया ऋणों और अग्रिमों से है, जिनके लिए अग्रिमों सहित पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है, लेकिन पुनः भुनाए गए बिलों और प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों को छोड़कर (तकनीकी बट्टे खाते में डालना)।
***	निवल एनपीए की गणना करते समय अस्थायी प्रावधानों की कटौती की जाएगी, यह उस हद तक होगा जिस हद तक बैंकों ने इसे टियर II पूंजी के लिए उपयोग करने पर इस विकल्प का प्रयोग किया है

भाग ख
अनुपूरक विवरण

		(रु. करोड़ में दो दशमलव तक)
विवरण		राशि
1.	भाग क में 5(vi) को छोड़कर मानक आस्तियों पर प्रावधान	
2.	मद के रूप में दर्ज ब्याज	
3.	भाग क में रिपोर्ट किए गए एनपीए खातों के संबंध में संचयी तकनीकी बट्टे खाते में डालने की राशि	

फसल अवधि से जुड़े आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के लिए पात्र गतिविधियाँ

कृषि क्रेडिट

क. वैयक्तिक किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात् वैयक्तिक किसानों के समूह को ऋण, जो सीधे कृषि में संलग्न हों, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा बनाए रखें। इसमें शामिल होंगे:

- (i) किसानों को फसल ऋण, जिसमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक वृक्षारोपण और बागवानी शामिल होगी।
- (ii) किसानों को कृषि के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (जैसे कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद, सिंचाई के लिए ऋण और खेत में किए गए अन्य विकासात्मक कार्य।)
- (iii) किसानों को फसल से पहले और बाद की गतिविधियों, जैसे छिड़काव, निराई, कटाई, छंटाई, ग्रेडिंग और अपने स्वयं के कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए ऋण।
- (iv) कृषि उपज (गोदाम रसीद सहित) के गिरवी/दृष्टिबंधक पर किसानों को 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए 50 लाख तक का ऋण।
- (v) गैर-संस्थागत उधारदाताओं के ऋणग्रस्त किसानों को ऋण।
- (vi) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को ऋण।
- (vii) छोटे और सीमांत किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि की खरीद के लिए ऋण।

ख. कॉर्पोरेट किसानों, किसान उत्पादक संगठनों/व्यक्तिगत किसानों की कंपनियों, साझेदारी फर्मों और सीधे कृषि में लगे किसानों की सहकारी समितियों को केवल 2 करोड़ प्रति उधारकर्ता की कुल सीमा तक ऋण। इसमें शामिल होंगे:

- (i) किसानों को फसल ऋण जिसमें पारंपरिक / गैर-पारंपरिक वृक्षारोपण और बागवानी शामिल होगी।
- (ii) किसानों को कृषि के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (जैसे कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद, सिंचाई के लिए ऋण और खेत में किए गए अन्य विकासात्मक कार्य।)
- (iii) किसानों को फसल से पहले और बाद की गतिविधियों के लिए ऋण, जैसे, छिड़काव, निराई, कटाई, छंटाई, ग्रेडिंग और अपने स्वयं के कृषि उत्पाद का परिवहन।
- (iv) 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीद सहित) के गिरवी/दृष्टिबंधक पर 50 लाख तक का ऋण।

ग. कृषि को आगे उधार देने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), किसान सेवा समितियों (एफ़एसएस) और बड़े आकार की आदिवासी बहुउद्देश्यीय समितियों (एलएएमपीएस) को बैंक ऋण।

प्रति चक्रीय प्रावधानीकरण बफर की गणना के लिए प्रारूप

राशि रुपये में करोड़ में							
30 सितंबर 2010 को प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर की गणना							
2	3	4	5	6	7	8	
	सकल एनपीए @ धन तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में	धारित/आवश्यक एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान	एनपीए के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठन खातों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	तकनीकी बट्टे खाते डालना	कुल (4+5+6)	(7) से (3) का अनुपात	
1.	अवमानक अग्रिम						
2.	संदिग्ध अग्रिम (ए+बी+सी)						
	ए < 1 वर्ष						
	बी 1-3 वर्ष						
	सी >3 वर्ष						
3.	हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिम						
4.	कुल						
5.	अग्रिमों के लिए अस्थायी प्रावधान (केवल टियर II पूंजी के रूप में उनका उपयोग नहीं किए जाने की सीमा तक)						
6.	प्राप्त डीआईसीजीसी / ईसीजीसी के दावे और लंबित समायोजन						

7.	सस्पेंस खाते या किसी अन्य समान खाते में प्राप्त और रखा गया आंशिक भुगतान	
8.	कुल (पंक्ति 4+ पंक्ति 5 + पंक्ति 6+ पंक्ति 7 के कॉलम 7 का योग)	
9.	प्रावधान कवरेज अनुपात {(पंक्ति 8/पंक्ति 4 के कॉलम 3 का कुल)*100}	
10.	यदि पीसीआर <70%, 70% की पीसीआर प्राप्त करने के लिए प्रावधान में कमी (पंक्ति 4 - पंक्ति 8 के कॉलम 3 का 70%)	
11.	ए प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर, यदि बैंक ने 70% का पीसीआर हासिल कर लिया है- टियर II पूंजी के रूप में उपयोग नहीं की गई सीमा तक अग्रिमों के लिए अस्थायी	

	<p>प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर, यदि बैंक ने 70% का पीसीआर हासिल कर लिया है - टियर II पूंजी के रूप में उपयोग नहीं की गई सीमा तक बी अग्रिमों के लिए अस्थायी प्रावधान (पंक्ति 5)+ 70% पीसीआर प्राप्त करने के प्रावधान में कमी, यदि कोई हो (पंक्ति 10) जिसे जल्द से जल्द बनाने की आवश्यकता है।</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

अनुबंध-4

बट्टे खाते डालना और तकनीकी बट्टे खाते डालना - प्रकटीकरण

'खातों के प्रति टिप्पणियों में बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण' पर दिनांक [15 मार्च 2010 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.79/21.04.018/2009-10](#) में निहित अनुदेश, बैंकों को विशेष रूप से निष्कर्ष करता है कि वे गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में उतार-चढ़ाव का विवरण देते हुए वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि का खुलासा करें। उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्ट प्रारूप को निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

विवरण	राशि रुपये करोड़ में	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विशेष वर्ष के 1 अप्रैल को सकल एनपीए ²⁴ (शुरुआती शेष राशि)		
वर्ष के दौरान अतिरिक्त (ताजा एनपीए)		
उप-कुल (ए)		
कम:-		
(i) उन्नयन		
(ii) वसूली (उन्नत खातों से की गई वसूली को छोड़कर)		
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना		
(iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य बट्टे खाते में		
उप कुल (बी)		
अगले वर्ष के 31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)		

इसके अलावा बैंकों को नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए स्टॉक और उस पर की गई वसूली का खुलासा करना चाहिए:

विवरण	राशि रुपये करोड़ में	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालने वाले खातों की शेष राशि		
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण ²⁵ बट्टे खाते में डालना		

²⁴ 24 सितंबर 2009 के डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.46/21.04.048/2009-10 के अनुबंध के मद 2 के अनुसार सकल एनपीए जिसमें सकल अग्रिम, शुद्ध अग्रिम, सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए की गणना करने के लिए एक समान विधि निर्दिष्ट है

²⁵ तकनीकी या विवेकपूर्ण राइट-ऑफ गैर-निष्पादित ऋणों की राशि है जो शाखाओं की पुस्तकों में बकाया हैं, लेकिन प्रधान कार्यालय स्तर पर (पूरी तरह या आंशिक रूप से) बट्टे खाते में डाले गए हैं। तकनीकी बट्टे खाते में डालने की राशि को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। (अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज पर [1 दिसंबर 2009 के हमारे परिपत्र संदर्भ बैंपवि.सं.बीपी.बीसी.64/21.04.048/2009-10](#) में परिभाषित)

उप-कुल (ए)		
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली (बी)		
31 मार्च (ए-बी) को अंतिम शेष		

स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन
परिभाषा

आईसीई प्रतीक	
आरपी1	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं / उपकरणों को वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्चतम स्तर की सुरक्षा माना जाता है। ऐसी ऋण सुविधाओं/उपकरणों में न्यूनतम ऋण जोखिम होता है।
आरपी 2	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं / उपकरणों को वित्तीय दायित्वों की समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की सुरक्षा माना जाता है। ऐसी ऋण सुविधाओं/उपकरणों में बहुत कम ऋण जोखिम होता है।
आरपी 3	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं / उपकरणों को वित्तीय देयताओं की समय पर सेवा के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा माना जाता है। ऐसी ऋण सुविधाओं/उपकरणों में कम ऋण जोखिम होता है।
आरपी 4	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/उपकरणों को वित्तीय देयताओं की समय पर अदायगी के संबंध में मध्यम स्तर की सुरक्षा माना जाता है। ऐसी ऋण सुविधाओं/लिखतों में मध्यम ऋण जोखिम होता है।
आरपी 5	इस प्रतीक वाली ऋण सुविधाओं/उपकरणों को वित्तीय देयताओं की समय पर अदायगी के संबंध में चूक का मध्यम जोखिम माना जाता है।
आरपी 6	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/उपकरणों को वित्तीय देयताओं की समय पर अदायगी के संबंध में चूक का उच्च जोखिम माना जाता है।
आरपी 7	इस प्रतीक के साथ ऋण सुविधाओं/उपकरणों को वित्तीय देयताओं की समय पर अदायगी के संबंध में चूक का बहुत अधिक जोखिम माना जाता है।

आईआरएसी मानदंडों पर मास्टर परिपत्र द्वारा समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	डीओआर.सं.बीपी.बीसी.33/21. 04.048/2019-20	07.02.2020	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड-कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं
2	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.64/21. 04.048/2016-17	08.04.2017	निर्धारित दरों से अधिक पर मानक अग्रिमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान
3	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21. 04.048/2018-19	07.06.2019	दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा
4	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.34/21. 04.132/2016-17	10.11.2016	दबावग्रस्त आस्तियों के लिए योजनाएं - संशोधन (केवल डीसीसीओ के आस्थगन पर अनूदेश)
5	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92/21. 04.048/2015-16	18.04.2016	धोखाधड़ी खातों के लिए प्रावधान
6	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.84/21. 04.048/2014-15	06.04.2015	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - उधारकर्ताओं को एक्सपोजर का पुनर्वित्त
7	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.85/21. 04.048/2014-15	06.04.2015	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - उधारकर्ताओं को एक्सपोजर का पुनर्वित्त
8	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21. 04.048/2014-15	01.04.2015	धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान
9	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.79/21. 04.048/2014-15	30.03.2015	अस्थायी प्रावधानों / प्रतिचक्रीय प्रावधानों का उपयोग

10	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	24.02.2015	योजना ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
11	डीबीआर.सं.सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15	22.12.2014	असहयोगी उधारकर्ता
12	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.33/21 .04.048/2014-15	14.08.2014	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं
13	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.125/2 1.04.048/2013-14	26.06.2014	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं
14	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.98/21 .04.132/2013-14	26.02.2014	अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों का पुनर्वित्त, एनपीए की बिक्री और अन्य विनियामकीय उपाय (अनुच्छेद 2, 3 और 4 को छोड़कर)
15	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.95/21.04.048/2013-14	07.02.2014	अस्थायी प्रावधान/ प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर का उपयोग
16	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.85/21 .06.200/2013-14	15.01.2014	बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं को एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं
17	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.78/21 .04.048/2013-14	20.12.2013	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - क्रेडिट कार्ड खाते
18	डीबीओडी बीपी.बीसी.सं.104/08.12.015/2012-13	21.06.2013	आवास क्षेत्र: सीआरई के भीतर नया उप-क्षेत्र सीआरई (आवासीय आवास) और प्रावधान, जोखिम-भार और एलटीवी अनुपात का युक्तिकरण

19	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी - 99/21.04.048/2012-13	30.05.2013	बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा (डीसीसीओ में परिवर्तन पर केवल अनु. 2
20	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी - 90/21.04.048/2012-13	16.04.2013	कम आय वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा गारंटीकृत अग्रिम - जोखिम भार और प्रावधान
21	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी - 83/21.04.048/2012-13	18.03.2013	अवसंरचना क्षेत्र को अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड
22	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी - 42/21.04.048/2012-13	14.09.2012	एनपीए प्रबंधन - एक प्रभावी तंत्र और बारीक डेटा की आवश्यकता
23	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी - 28/21.04.157/2011-12	11.08.2011	बैंकों के तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
24	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.94/21.04.048/2011-12	18.05.2011	अनर्जक आस्तियों और पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण की दरों में वृद्धि
25	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.87/21.04.048/2010-11	21.04.2011	अग्रिमों के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)
26	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.69/08.12.001/2010-11	23.12.2010	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास ऋण - एलटीवी अनुपात, जोखिम भार और प्रावधान
27	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	06.07.2010	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान - मध्यम उद्यम
28	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.96/08.12.014/2009-10	23.04.2010	अवसंरचना क्षेत्र को अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड
29	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.85/21.04.048/2009-10	31.03.2010	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

30	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.64/21 .04.048/2009-10	01.12.2009	वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा - अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज
31	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.58/21 .04.048/2009-10	05.11.2009	वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा - मानक आस्तियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता
32	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.46/21 .04.048/2009-10	24.09.2009	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - एनपीए स्तरों की गणना
33	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.33/21 .04.048/2009-10	27.08.2009	अस्थायी प्रावधानों के संबंध में विवेकपूर्ण व्यवहार
34	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.125/2 1.04.048/2008-09	17.04.2009	अरक्षित अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड
35	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.122/2 1.04.048/2008-09	09.04.2009	अस्थायी प्रावधानों के संबंध में विवेकपूर्ण व्यवहार
36	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.118/2 1.04.048/2008-09	25.03.2009	ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का विवेकपूर्ण व्यवहार
37	डीबीओडी बीपी.बीसी.83/21.01.002/200 8-09	15.11.2008	कार्पोरेट्स, वाणिज्यिक रियल एस्टेट और एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए एक्सपोजर के लिए मानक आस्तियों और जोखिम भार के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा
38	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.84/21 .04.048/2008-09	14.11.2008	कार्यान्वयन के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंड

39	डीबीओडी बीपी.बीसी.सं.69/21.03.009/2 008-09	29.10.2008	बैंकों के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
40	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.57/21 .04.157/2008-09	13.10.2008	बैंकों के तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
41	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.31/21 .04.157/2008-09	08.08.2008	बैंकों के तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
42	डीबीओडी.बीपी.बीसी.82/21.0 4.048/2007-08	08.05.2008	अग्रिम से संबंधित आस्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और समय से अधिक शामिल होना
43	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.76/21 .04.048/2006-07	12.04.2007	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - समय की अधिकता वाली परियोजनाएं
44	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.68/21 .04.048/2006-07	13.03.2007	अस्थायी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड
45	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.53/21 .04.048/2006-2007	31.01.2007	वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक विवरण की तीसरी तिमाही की समीक्षा - मानक आस्तियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता और पूंजी पर्याप्तता के लिए जोखिम भार
46	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.21/21 .04.048/2006-2007	12.07.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति विवरण-मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता
47	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89/ 21.04.048/ 2005-06	22.06.2006	अस्थायी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड

48	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.85/ 21.04.048/2005-06	29.05.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य: मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता
49	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.40/ 21.04.048/2005-06	04.11.2005	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा: मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता
50	डीबीओडी बीपी.बीसी.34/21.04.048/200 4-05	26.08.2004	ग्रामीण आवास ऋणों की चुकौती अनुसूची
51	डीबीओडी बीपी.बीसी.29/21.04.048/200 4-05	13.08.2004	विवेकपूर्ण मानदंड - राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजर
52	आरपीसीडी No. प्लान.बीसी. 92/04.09.01/2003-04	24.06.2004	कृषि को ऋण का प्रवाह
53	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.102/2 1.04.048/2003-04	24.06.2004	कृषि अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
54	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.99/21 .04.048/2003-04	21.06.2004	एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता
55	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.97/21 .04.141/2003-04	17.06.2004	अरक्षित एक्सपोजर पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
56	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.96/21 .04.103/2003-04	17.06.2004	देश जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश
57	डीबीओडी बीपी.बीसी.सं.74/21.04.048/2 002-2003	27.02.2003	कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं में समय से अधिक शामिल है
58	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.71/21 .04.103/2002-2003	19.02.2003	बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली - देश जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश

59	डीबीओडी बीपी.बीसी.सं.69/21.04.048/2 002-03	10.02.2003	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन
60	डीबीओडी बीपी.बीसी.सं.44/21.04.048/2 002-03	30.11.2002	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि ऋण
61	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.108/ 21.04.048/2001-2002	28.05.2002	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के अग्रिम उपचार पर प्रावधान जिसमें समय से अधिक शामिल है
62	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.100/ 21.01.002/2001-02	09.05.2002	आस्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड
63	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.59/ 21.04.048/2001-2002	22.01.2002	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और कृषि अग्रिम के प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड
64	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.25/ 21.04.048/2000-2001	11.09.2001	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड
65	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.132/ 21.04.048/2000-2001	14.06.2001	आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम के लिए प्रावधान
66	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.128/2 1.04.048/2000--2001	07.06.2001	सीजीटीएसआई द्वारा गारंटीकृत एसएसआई अग्रिम - जोखिम भार और प्रावधान मानदंड
67	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.116/2 1.04.048/2000-2001	02.05.2001	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय 2001-02
68	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.98/21 .04.048/2000-2001	30.03.2001	पुनर्चित खातों का उपचार
69	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.40/21 .04.048/2000- 2001	30.10.2000	आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और आरबीआई को एनपीए की प्रोविजनिंग रिपोर्टिंग

70	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.164/2 1.04.048/2000	24.04.2000	पूंजी पर्याप्तता, आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान आदि पर विवेकपूर्ण मानदंड।
71	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.144/2 1.04.048/2000	29.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान और अन्य संबंधित मामले और पर्याप्तता मानक - अंतरण वित्त
72	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.138/2 1.04.048/2000	07.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान निर्यात परियोजना वित्त
73	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.103/2 1.04.048/99	21.10.1999	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान कृषि वित्त
74	डीबीओडी.सं.एफएससी.बीसी.7 0/24.01.001/99	17.07.1999	उपकरण पट्टे पर देने की गतिविधि - लेखा/प्रावधान मानदंड
75	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.45/21 .04.048/99	10.05.1999	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की प्रावधान अवधारणा
76	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.120/2 1.04.048/98	29.12.1998	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान कृषि ऋण पर विवेकपूर्ण मानदंड
77	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.103/2 1.01.002/98	31.10.1998	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय
78	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.17/21 .04.048/98	04.03.1998	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान कृषि अग्रिम पर विवेकपूर्ण मानदंड
79	डीओएस. सं. सीओ.पीपी. बीसी.6/11.01.005/9697	15.05.1997	आस्ति मूल्यांकन और ऋण हानि प्रावधान से संबंधित आकलन
80	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.29/21 .04.04 8/97	09.04.1997	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान कृषि अग्रिम

81	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.14/21 .04.048/97	19.02.1997	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और कृषि अग्रिमों का प्रावधान
82	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.9/21. 04.048/97	29.01.1997	विवेकपूर्ण मानदंड पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान
83	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.163/2 1.04.048/96	24.12.1996	रुपये से कम शेष के साथ अग्रिमों का वर्गीकरण। 25,000/
84	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.65/21 .04.048/96	04.06.1996	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान
85	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.26/21 .04.048/96	19.03.1996	गैर-निष्पादित अग्रिमों की भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना
86	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.25/21 .04.048/96	19.03.1996	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान
87	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.134/2 1.04.048/95	20.11.1995	एक्जिम बैंक का नया ऋण कार्यक्रम पोतलदानोत्तर आपूर्तिकर्ता के ऋण के संबंध में वाणिज्यिक बैंक को गारंटी सह पुनर्वित्त का विस्तार
88	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.36/21 .04.048/95	03.04.1995	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान
89	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.134/2 1.04.048/94	14.11.1994	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
90	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.58/21 .04.048/94	16.05.1994	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान और पूंजी पर्याप्तता मानदंड - स्पष्टीकरण
91	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.50/21 .04.048/94	30.04.1994	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान

92	डीओएस.बीसी.4/16.14.001/9 394	19.03.1994	ऋण निगरानी प्रणाली - उधार खातों के लिए स्वास्थ्य कोड प्रणाली
93	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.8/21. 04.043/94	04.02.1994	आय निर्धारण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
94	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.195/2 1.04.048/93	24.11.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान स्पष्टीकरण
95	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.95/21 .04.048/93	23.03.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामले
96	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.59/21 .04.04 392	17.12.1992	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान स्पष्टीकरण
97	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.129/2 1.04.0 4392	27.04.1992	आय निर्धारण, आस्ति
98	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.42/C. 469 (W)90	31.10.1990	वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य
99	डीबीओडी.सं.एफओएल.बीसी. 136/C.24985	07.11.1985	संबंधित मामलों
100	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.35/21 .01.002/99	24.04.1999	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय
101	डीबीओडी.सं.एफएससी.बीसी.1 8/24.01.001/9394	19.02.1994	उपकरण पट्टे, किराया खरीद,